यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

कम्पनी **ISO 9001 : 2000, 14001 : 2004** एवं **IS 18001 : 2007**

An ISO 9001 : 2000, 14001 : 2004 & IS 18001 : 2007 Company

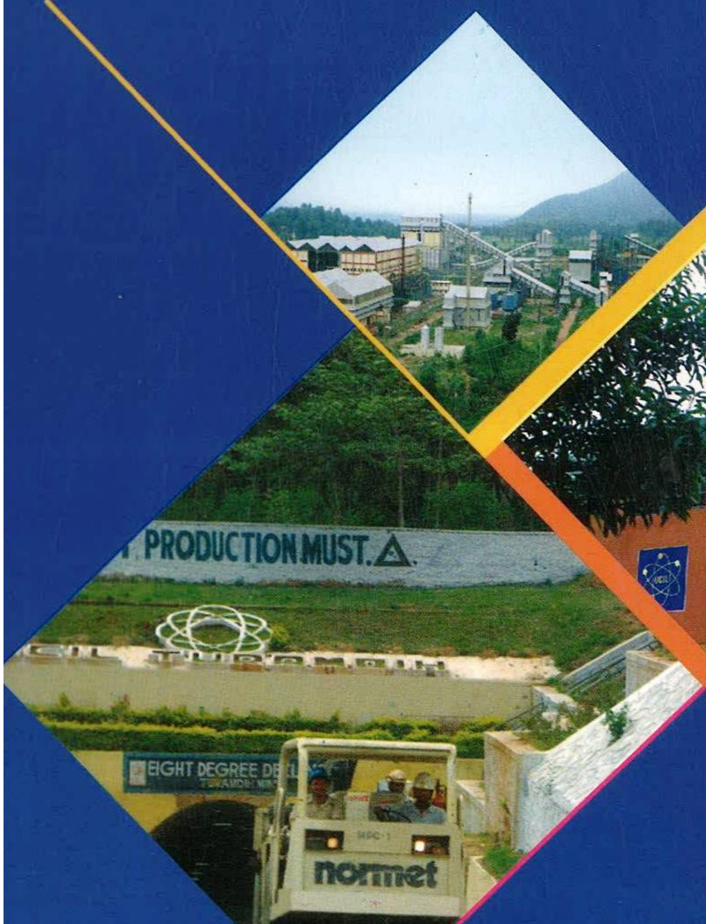

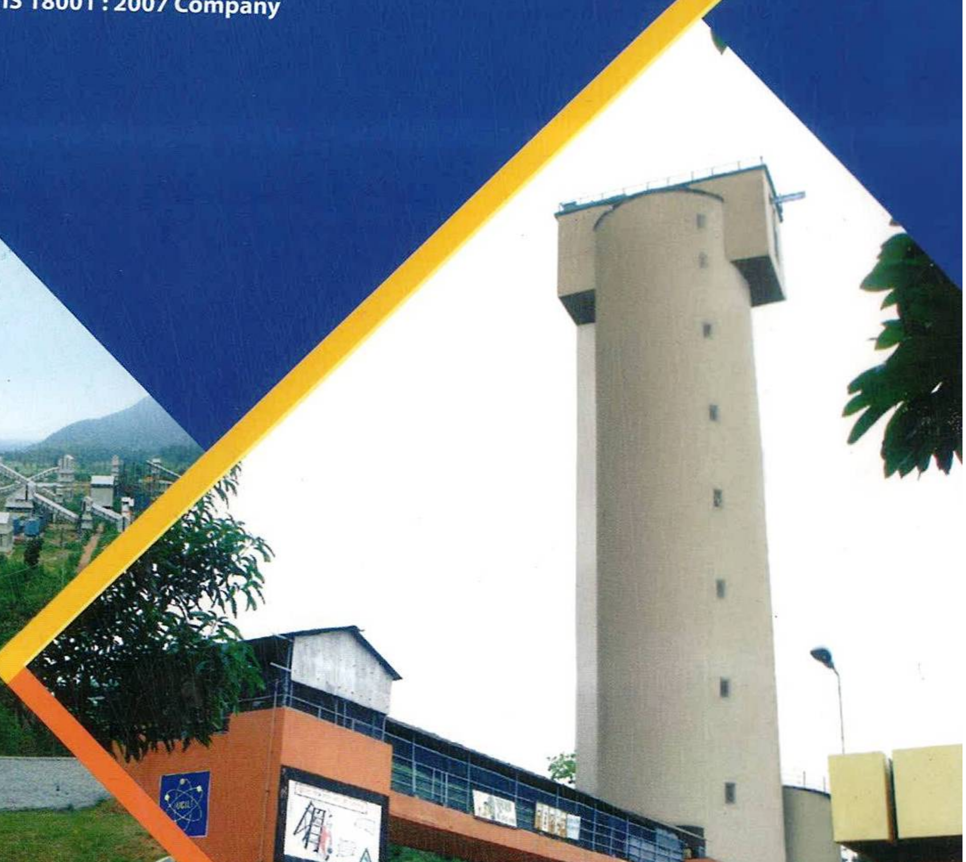

४२वां वार्षिक प्रतिवेदन - २००८-२००९

42nd Annual Report - 2008-2009

URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

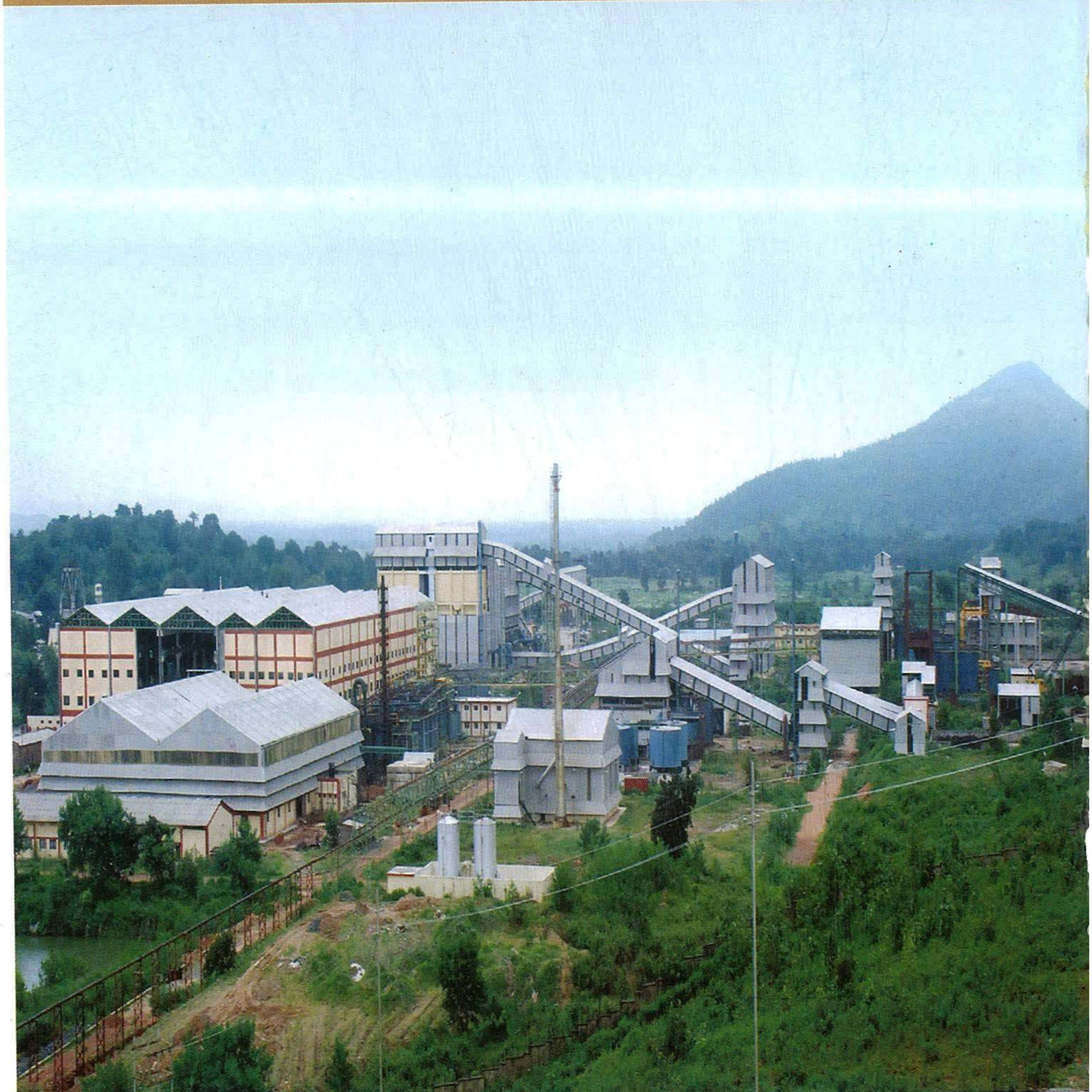

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

रजिस्टर्ड ऑफिस : जादुगोड़ा माइन्स, जिला – सिंहभूम (पूर्व)
झारखंड – 832102
दूरभाष : 0657–2730122 / 222 / 353
फैक्स : 0657–2730322
ई–मेल : uranium@ucil.gov.in
वेबसाईट : www.ucil.gov.in

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	3
2.	कार्यकारी अधिकारीगण	4
3.	अध्यक्ष की कलम से	5
4.	अंशधारियों के समक्ष निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	7
5.	**लेखा विश्लेषण**	
	(i) विशिष्टताएँ	20
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	21
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	22
6.	**बार तथा पाई चार्ट**	
	(i) आय का वर्गीकरण	24
	(ii) आय का वितरण	24
	(iii) आय में वृद्धि	25
	(iv) निवल मालियत में वृद्धि	25
	(v) नियोजित पूँजी	26
	(vi) सकल तथा शुद्ध निरूद्ध पूँजी	26
7.	अंशधारियों के समक्ष लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	27
8.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की टिप्पणी	31
9.	31 मार्च, 2009 की स्थिति का तुलन–पत्र	32
10.	वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए लाभ तथा हानि का लेखा	33
11.	लेखे की 1 से 15 तक की अनुसूचियाँ	34
12.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो विवरण	58
13.	तुलन–पत्र का सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा	59
14.	पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	60

निदेशक मण्डल

श्री आर॰ गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी॰ आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

श्री आर॰ पी॰ गुप्ता
निदेशक (वित्त)

सुश्री रेवती अय्यर

श्री वी॰ आर॰ सदाशिवम

श्री एम॰ एल॰ मजुमदार

प्रो॰ एस॰ पी॰ मेहरोत्रा

श्री आर॰ एन॰ जयराज

डा॰ अंजन चाकी

श्री ए॰ के॰ बासु
(31.08.2009 तक)

श्री पी॰ वी॰ दुबे
कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखापाल
''तासी हाउस'', प्रथम तल 74/2ए
गोल्फ क्लब रोड, कोलकाता – 700 033

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**श्री रमेन्द्र गुप्ता**
निदेशक (तकनीकी)	**श्री डी. आचार्या**
निदेशक (वित्त)	**श्री आर. पी. गुप्ता**
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	**श्री पिनाकी राय**
महाप्रबंधक	**श्री एस. एन. बनर्जी**
महाप्रबंधक (कार्मिक)	**श्री के. महाली**
महाप्रबंधक (टीपी)	**श्री एन. एम. बहल**
महाप्रबंधक (टीएस)	**श्री एस. सिद्दिकी**
महाप्रबंधक (मिल)	**श्री एस. के. श्रीवास्तव**
महाप्रबंधक (खान)	**श्री एस. सी. भौमिक**
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	**श्री निरंजन मिश्रा**
उप महाप्रबंधक (विद्युत)	**श्री राजन प्रसाद**
उप महाप्रबंधक (खान)	**श्री जी. एस. घोष हाजरा**
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	**श्री ए. मधुसुदन राव**
उप महाप्रबंधक (विद्युत)	**श्री यू. सी. मल्लिक**
उप महाप्रबंधक (विद्युत)	**श्री पी. के. धर**
उप महाप्रबंधक (खान)	**श्री पी. एन. सरकार**
उप महाप्रबंधक (खान)	**श्री अजय घड़े**
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	**श्री एस. के. गुहानियोगी**
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	**श्री सी. एस. शिव कुमार**
कम्पनी सचिव	**श्री पी. वी. दुबे**

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 42वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2008–2009 के लिए कम्पनी का परीक्षित लेखा विवरण तथा निदेशकों का प्रतिवेदन आप सभी को दिया जा चुका है तथा आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मानता हूँ।

यह सूचित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2008–09 में कम्पनी की सभी प्रचालनरत इकाइयों का निष्पादन संतोषजनक रहा। देश की सबसे गहरी खान होने के कारण इसके प्रचालन व्यय में वृद्धि होने के बावजूद जादुगोड़ा खान में पिछले वर्ष की 63.7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 55.9 प्रतिशत की उपयोग क्षमता दर्ज की गयी। भाटिन खान की उपयोग क्षमता में सुधार हुआ है और इसकी उपयोग क्षमता पिछले वर्ष 59.12 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 61.39 प्रतिशत रही। नरवा पहाड़ खान की क्षमता विस्तार 1000 टीपीडी से 1500 टीपीडी किया गया और इसकी उपयोग क्षमता पिछले वर्ष 118.91 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 131.64 प्रतिशत रही। तुरामडीह खान में वर्ष प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता में निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष 59.49 प्रतिशत उपयोग क्षमता की तुलना में इस वर्ष खान की उपयोग क्षमता 108.19 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान जादुगोड़ा संयत्र की उपयोग क्षमता पिछले वर्ष की 111.94 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 111.45 प्रतिशत रही। यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि तुरामडीह में स्थापित नये संयंत्र के निष्पादन में निरंतर सुधार हो रहा है।

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ वर्ष 2007–08 में हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आपकी कम्पनी का निष्पादन कार्य "अच्छा" मूल्यांकित किये जाने की आशा है। 2008–09 में तीनों प्रमाणीकरणों – ISO 9001:2000, 14001:2004 और IS-18001:2007 में खरा उतर कर कम्पनी ने गुणवत्ता प्रचालन, पर्यावरण दायित्व एवं सुरक्षा जागरूकता पर प्रतिबद्धता प्रमाणित की है।

प्रिय सदस्यों आपकी कम्पनी का विस्तार तेज गति से हो रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ आपकी कम्पनी के लिए वर्ष 2008–09 संतोषप्रद वर्ष रहा है। वर्ष के उत्तरार्ध में बागजाता भूमिगत खान व बादुहुरांग खुली खान प्रारम्भ हुई एवं तुरामडीह संयत्र में भी कार्य प्रारम्भ हुआ। एम॰डी॰यू उत्पादन में इसका संयुक्त प्रभाव वर्ष 2009–10 में दिखायी देने की आशा है। जादुगोड़ा एवं तुरामडीह संयंत्रों का विस्तारण कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। माहुलडीह एवं तुमल्लापल्ली भूमिगत खान और मिल का निर्माण भी योजना के अनुसार प्रगति पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण ने लाम्बापुर खान के लिए पर्यावरण स्वीकृति के विरूद्ध दी गई चुनौती को कम्पनी के पक्ष में खारिज कर दिया है जिससे परियोजना निर्माण के कार्य का रास्ता खुल गया है। मेघालय सरकार द्वारा के॰ पी॰ एम॰ परियोजन के लिए परियोजना पूर्व के विकास कार्यो के लिये स्वीकृति दिये जाने से भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिये स्वीकृति प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। गोगी में खनन अन्वेषण के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है और फ्लोशीट विकसित करने के लिये पायलट संयंत्र पर अध्ययन किया जा रहा है ताकि नयी खान व प्रसंस्करण संयंत्र परियोजना को मूर्तरूप दिया जा सके।

परमाणु सहयोग के वैश्विक विकास के आलोक में तथा इसमें अर्न्तवती अवसरों को देखते हुए कम्पनी ने विदेशों में सरकारी निजी भागीदारी के तहत यूरेनियम अन्वेषण तथा खनन कार्य करने का बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में मंगोलिया, रूस, दक्षिण अफ्रिका, नामीबिया और कज़ाकिस्तान में यूरेनियम के स्त्रोतों का पता लगाया जा रहा है और एन.पी.सी.आई.एल. को साथ लेकर विभिन्न स्तरों पर वार्ता हुई है। यूरेनियम अन्वेषण एवं खनन को अनेक अन्तर सरकारी समझौतो में महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है।

आपकी कम्पनी अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में अपनी सभी इकाईयों के आस–पास के क्षेत्रों के विस्तृत विकास के लिए समर्पित है। आपकी कम्पनी द्वारा झारखण्ड एवं आंध्रप्रदेश में अपनी प्रचालनरत इकाईयों एवं मेघालय में प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस पास के क्षेत्रों में कराए जा रहे ढांचागत विकास, स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का इंतजाम एवं आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चो के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, जिसकी स्थानीय लोगो द्वारा भूरिभूरि प्रशंसा की जा रही है। कम्पनी ने नरवापहाड़ में एक ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र खोला है जहाँ पर आस–पास के गाँवों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। स्थानीय युवकों को कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से तुरामडीह में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमें स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाया जा रहा है, ये कल्याणकारी कार्य आपकी कम्पनी की सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

आपकी कम्पनी अपने कार्यक्रमों के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास के महत्व को पूरी निष्ठा से मानती है। नियमित कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि के लिये प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं को विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, आई.एस.एम. धनबाद व एक्स.एल.आर.आई. जमशेदपुर आदि से प्रशिक्षक आमंत्रित किये जाते हैं।

मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिन हमारे लिये अपना उत्तम योगदान देने के अवसरों से परिपूर्ण होंगे जो आपकी कम्पनी को नयी ऊचाइयों पर ले जायेंगे। मैं सामूहिक प्रयास के रूप में आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग द्वारा उत्कृष्टता प्राप्ति के लिये आशान्वित हूँ। इस अवसर पर मैं परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसकी विभिन्न ईकाइयों को उनके द्वारा दिये हर सम्भव सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर कम्पनी के सभी कर्मचारियों के योगदान और बोर्ड के अपने सहयोगियों का सभी अवसरों पर उनके द्वारा किये गये गम्भीर प्रयासों एवं उनकी समर्पित प्रतिबद्धता के लिये आभारी हूँ। मैं विशेष तौर पर कम्पनी बोर्ड से सेवा निवृत्त हो रहे सदस्यों को कार्यकाल के दौरान उनके सहयोग, विशिष्ट सुझावों एवं अथक प्रयासों के लिये धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं कम्पनी का 31 मार्च, 2009 का तुलन पत्र तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ–हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदन तथा अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद,

जादुगोड़ा
22 सितम्बर, 2009

आर॰ गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारीगण,
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
जादुगोड़ा

सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कम्पनी का 31 मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष का 42वां वार्षिक विवरण, परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

1.0 परिचालन विशिष्टताएँ :

1.1 वित्तीय निष्पादन :

कम्पनी की परिचालन का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिखाया गया है।

लाख रूपयों में

	चालू वर्ष 2008–2009	विगत वर्ष 2007–2008
आय	**41,462.48**	30,436.32
मूल्यह्रास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	**8,867.53**	4,760.44
घटाया : (क) मूल्यह्रास	**2,754.55**	2,517.89
(ख) पूर्व अवधि का समायोजन	**108.58**	100.72
कर के पूर्व लाभ	**6,004.40**	2,141.83
घटाया : (क) कर का प्रावधान	**681.00**	882.00
(ख) पूर्व के वर्षो के लिए	**(13.60)**	(80.04)
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	**3,507.19**	(152.30)
(घ) सीमांत लाभकर–सुविधा कर	**28.83**	29.39
कर के पश्चात् लाभ	**1,800.98**	1,462.78
जोड़ा : विगत वर्ष से लाया गया	**9,159.11**	8,499.21
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**10,960.09**	9,961.99
विनियोग		
साधारण रिजर्व	**470.00**	370.00
प्रस्तावित लाभांश	**470.00**	370.00
लाभांश पर कर	**79.88**	62.88
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	**9,940.21**	9,159.11

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2008–09 के दौरान राजकोष में आयकर, केन्द्रीय बिक्रीकर, अनुषंगी लाभकर, मूल्य योजित कर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क एवं स्वामित्व शुल्क के रूप में 1781.60 लाख रूपये का योगदान दिया।

निदेशकों का प्रतिवेदन

1.2 परिचालन निष्पादन :

- **जादुगोड़ा खान**

  जादुगोड़ा खान देश की प्रथम यूरेनियम खान है जो 1968 से व्यवसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन लगातार कर रही है। जादुगोड़ा में अधिकांश खनन का कार्य 650 मीटर की गहराई से

  किया जा रहा है। रूफ सपोर्ट, स्टोपिंग पद्धति, यंत्रो का उपयोग व स्टोइन इत्यादि को अपनाकर विभिन्न स्तरों पर सुधार एवं मानकीकरण किया गया है जिससे अधिकतम अयस्क का उत्पादन हो सके। जादुगोड़ा देश की सबसे गहरी प्रचालन रत भूमिगत खान है जहाँ वायु संवाहन, स्तर नियंत्रण व तापमान इत्यादि गहराई में खनन कार्य से जुड़ी चिन्ताएं भी है। पिछले वर्ष 61.31% की तुलना में इस वर्ष में खान की उपयोग क्षमता 55.9% दर्ज की गई है।

- **माटिन खान**

  यह एक छोटी खान है जो जादुगोड़ा खान के पास में स्थित है। अब यह खान 185 मीटर गहरी है। वर्ष

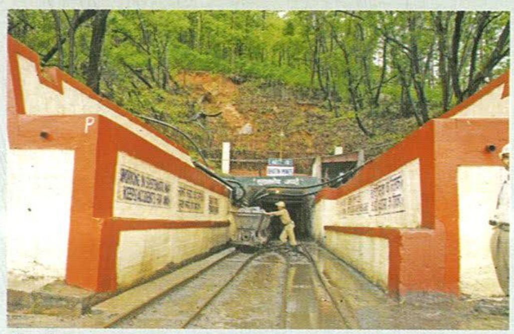

  के दौरान इस खान की उपयोग क्षमता में सुधार हुआ है और पिछले वर्ष 59.12% की तुलना में उपयोग क्षमता 61.39% रही।

- **नरवापहाड़ खान**

  इस खान को वर्ष 1995 में चालू किया गया यह देश की सबसे आधुनिक भूमिगत खान है। जिसमें पटरी विहीन डीज़ल चलित उपकरणों एवं डिकलाइन प्रवेश तकनीकी को अपनाया गया है। गहरे स्तरो से अयस्क को ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट जो कि 355 मीटर की गहराई तक लगाया गया है से ऊपर लाया जाता है। इस वर्ष के दौरान निष्पादन क्षमता में सुधार हुआ है और इसकी उपयोग क्षमता 131.64% दर्ज की गई है जबकि यह विगत वर्ष में 118.91% थी।

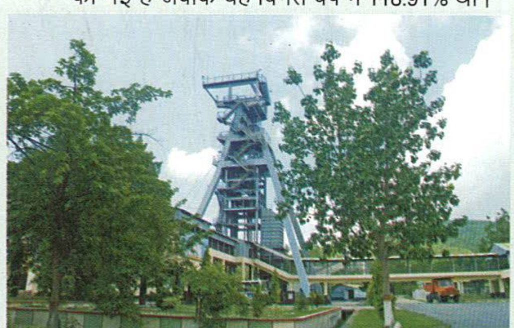

- **तुरामडीह खान**

  इस खान को वर्ष 2003 में चालू किया गया था। इस खान का ले आउट आधुनिक है जिसमें 11 पटरी विहीन उपकरणों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। 5 मीटर व्यास का सॉफ्ट ऊपरी सतह से

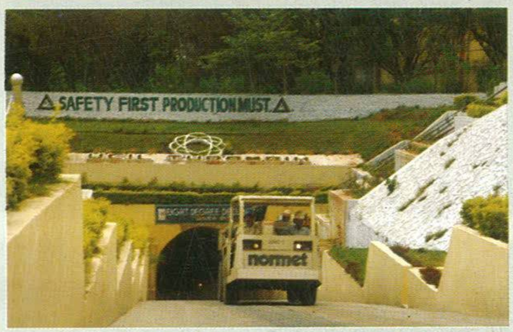

260 मीटर की गहराई तक खोदा जा रहा है जिससे कि कर्मचारियों एवं सामग्रियों को लाने ले जाने में सुविधा हो सके। इस खान की उत्पादन क्षमता 750 टी.पी.डी. से 1000 टी.पी.डी. की जा रही है। वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 108.19% रही जबकि पिछले वर्ष यह 59.49% थी।

- **बाडुहुरांग ओपेन कास्ट खान**

कम्पनी की यह पहली ओपेन कास्ट खान है जिसे

जनवरी 2009 में चालू किया गया और इसकी उत्पादन क्षमता 3500 टन अयस्क प्रतिदिन की है। यह खान तुरामडीह मिल के पास में स्थित है। इस खान का भंडार अधिक है परन्तु अयस्क में यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है। यह पंरम्परागत ओपेन कास्ट खान है जिसमें एक्सकेवेटर डम्पर के संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ओर बेंचेज 6 मीटर ऊँचाई तक है जिस पर 6 मीटर/12 मीटर की ओवर बर्डन/वेस्ट बेंचेज है। इस पिट की गहराई 160 मीटर तक होगी तथा अयस्क एवं ओवर वर्डन का अनुपात 1:2.7 होगा।

- **बागजाता भूमिगत खान**

बागजाता भूमिगत खान 70 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 दिसम्बर 2008 को चालू की गयी। खान में पटरी विहीन उपकरणों जैसे ड्रील जम्बो, एल.एच.डी. और एल.पी.डी.टी. का इस्तेमाल किया जाता है। आशा

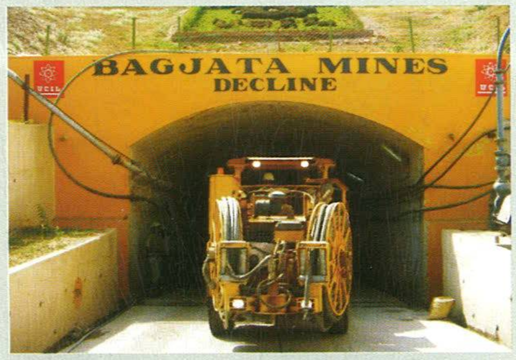

की जाती है कि यह खान अपनी पूर्ण क्षमता वर्ष 2009–10 में प्राप्त कर लेगी। एक ऊर्ध्वाधर साफ्ट 375 मीटर गहराई तक खोदी गई है। मुख्य ढाँचा संरचना एवं उपकरण लगाने आदि का कार्य वर्ष 2010–11 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

- **जादुगोड़ा मिल**

जादुगोड़ा संयंत्र को 1000 टन प्रतिदिन निष्पादन क्षमता के साथ वर्ष 1968 में चालू किया गया। इसकी प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार कई चरणों में किया गया। वर्तमान में इस खान में जादुगोड़ा, भाटिन एवं नरवापहाड़ खानों से प्राप्त 2090 टन

निदेशकों का प्रतिवेदन

अयस्क का संसाधन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस प्लांट कि क्षमता को बढ़ाकर अब 2500 टन प्रतिदिन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान संयत्र की उपयोग क्षमता 111.45% रही जबकि पिछले वर्ष यह 111.94% थी।

- **तुरामडीह मिल**

इस संयंत्र को मार्च 2009 में 3000 टी.पी.डी. के संसाधन क्षमता के साथ चालू किया गया। यह संयंत्र तुरामडीह और बादुहुरांग खान से प्राप्त अयस्क का संसाधन करता है। इसमें मापदण्डो को स्थिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तुरामडीह

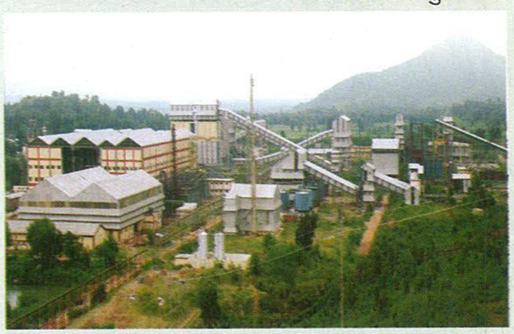

संयंत्र का 4500 टी.पी.डी. अयस्क संसाधन क्षमता हेतु विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए अयस्क की आवश्यकता को तुरामडीह और बादुहुरांग खानों के उत्पादन को बढ़ाकर पूरा किया जाएगा साथ ही साथ माहुलडीह खान से भी अयस्क उत्पादित कर भेजा जाएगा।

- **उप–उत्पाद पृथ्क्करण संयंत्र**

जादुगोड़ा में स्थित उपोत्पादन पृथक्करण संयंत्र मैगनेटाइट का उत्पादन करता है और इसकी उपयोग क्षमता पिछले वर्ष 71.23% की तुलना में इस वर्ष 69.82% रही।

1.3 नई परियोजनाएँ तथा विस्तार की योजना

- **माहुलडीह भूमिगत खान**

यह खान जादुगोड़ा से पश्चिम की ओर करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भूमिगत खान का निर्माण कार्य डिक्लाईन एवं ऊर्ध्वाधर

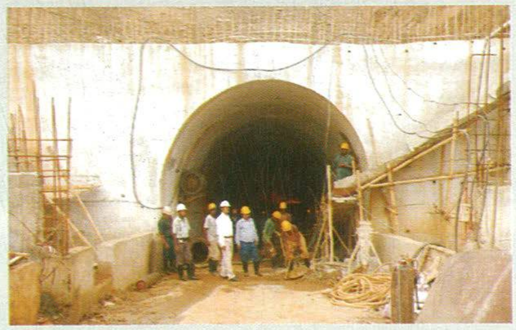

सॉफ्ट द्वारा निर्माणाधीन है। इस खान में पटरी विहीन डीजल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ डिक्लाईन के कार्य में अप्रत्यासित रूप से मिली लूज मिट्टी के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। माहुलडीह के अयस्क का संसाधन तुरामडीह में किया जाएगा। वर्ष 2011 तक इसके चालू हो जाने की आशा है।

- **तुमलापल्ली यूरेनियम परियोजना**

आँध्रप्रदेश के कडप्पा जिले में पुलिवेन्डला के निकट 3000 टन प्रतिदिन की प्रस्तावित क्षमता वाली एक

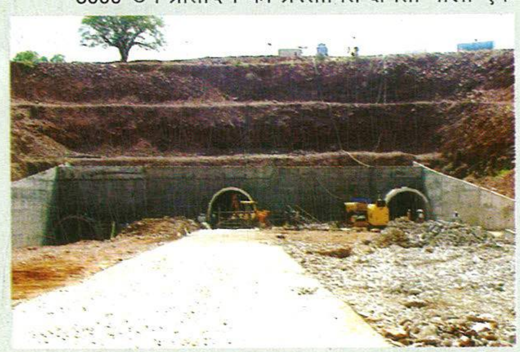

खान एवं संसाधन संयंत्र के निर्माण की परियोजना संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। इस खान का प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य तीन डिक्लाईनों के साथ किया जा रहा है, जिसमें योजना है कि अयस्क को कॉनवेयर के द्वारा ऊपर लाया जाएगा। इस संयंत्र में अलकली लिचिंग (दबावधीन) पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। इस परियोजना का वर्ष 2011 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

- **लाम्बापुर – पेडागुट्टू परियोजना**

लाम्बापुर–पेडागुट्टू यूरेनियम खनन एवं संसाधन परियोजना का निर्माण आँध्रप्रदेश के नालगोडा जिले में किया जाएगा। एक एनजीओ ने इस परियोजना की स्वीकृत जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई थी का राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेन्ट प्राधिकरण में चुनौती दी थी। इस चुनौती

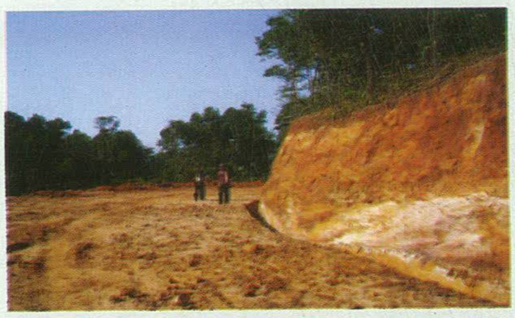

को कम्पनी के पक्ष में खारिज कर दिया गया। इस परियोजना के लिए 2007 में तैयार की गई डी. पी. आर. को अब पुर्नसंसोधित किया गया है और भारत सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात इस योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।

- **केलेंग पेन्डेन्गसाहिंग माउथाबा परियोजना, मेघालय**

मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में केलेंग पेन्डेन्गसाहिंग माउथाबा परियोजना में ओपेन कास्ट खान और एक संसाधन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में ढ़ाँचागत विकास के लिए परियोजना पूर्व के कार्यकलाप शामिल है और द्वितीय चरण में खान एवं संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। मेघालय के सरकार ने यूसिल द्वारा तैयार पूर्व परियोजना कार्यकलापों का अनुमोदन कर दिया है जिसकी लागत 209 करोड़ रूपये आएगी। इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है। आपकी कम्पनी कल्याणकारी कार्यों को कार्यस्थल पर लगातार कर रही है और इसमें स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है।

- **गोगी परियोजना, कर्नाटक**

कर्नाटक के गुलवर्गा जिले के गोगी में यूसिल ने ए. एम. डी. की ओर से अन्वेषी खनन का कार्य हाथ में

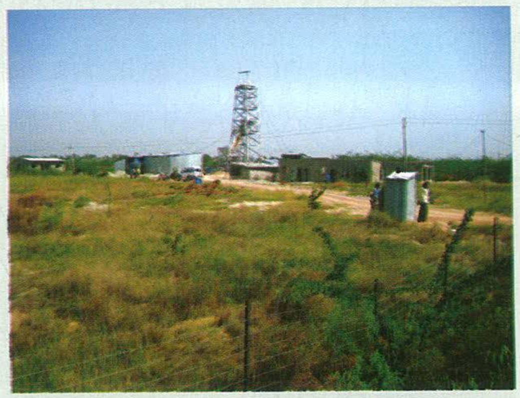

लिया है। अयस्क पिण्ड तक पहुँचने के कार्य का विस्तार कर एक डिक्लाइन के निर्माण को शामिल किया गया है। 60 मीटर की गहराई से प्राप्त हो रहे अयस्क का इस्तेमाल पायलट प्लांट के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। कम्पनी ने ई.आई.ए. / ई.एम. पी. प्रतिवेदन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है जिससे परियोजना निर्माण का कार्य किया जा सके।

- **रोहिल यूरेनियम भंडार**

आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। खनन योजना को पूरा कर लिया गया है इस कार्य का आरम्भ परियोजना के लिए जल स्त्रोत सुनिश्चित होने के बाद ही किया जायेगा। इसके लिए ए.एम.डी. ने एन.जी.आर.आई. को लेकर कार्य आरम्भ कर दिया है।

- **समझौता ज्ञापन निष्पादन**

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आपकी कम्पनी का निष्पादन कार्य अस्थायी रूप से "फेयर" मूल्यांकित किया गया है। कम्पनी ने समझौता ज्ञापन श्रेणी को उच्चस्तरीय समिति के समझ पुनः विचार हेतु रखा गया है। क्योंकि आप की कम्पनी यह महसूस करती है कि वह इससे उच्च मूल्यॉंकन के योग्य है।

निदेशकों का प्रतिवेदन

2.0 लाभांश तथा रिजर्व में को स्थानान्तरण :

आपके निदेशकगणों 99714.78 लाख की प्रदत्त पूँजी पर अंशधारियों को रू॰ 470.00 लाख रूपये लाभांश देने की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है यह लाभांश विगत वर्ष रू॰ 370.00 लाख था, जो 79264.78 लाख की प्रदत्त पूँजी पर दिया गया था। इस वर्ष के लाभ से 470.00 लाख रूपयों को सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2008–09 के लेखा में 79.88 लाख रूपय लाभांश कर के लिये प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूँजी :

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 1500.00 करोड़ रूपये थी तथा 31.03.2009 को निर्गमित अंशपूँजी 997.15 करोड़ रूपये थी।

4.0 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, इनोवेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(i)(ई) (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिखाए गये विवरण) व कम्पनी नियम 1988 के अनुसार पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–i में दिखलाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वर्ष के दौरान कम्पनी की सभी इकाईयों में औद्योगिकी संबंध संतोषजनक रहा। यूनियन प्रतिनिधियों के साथ लगातार वार्ता होती रही और कामगारों की समस्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों का हल निकाला गया। वेतन पुनरीक्षण समझौता वार्त्ता संतोषजनक प्रगति पर है आशा है कि इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन्हें कल्याण समिति, पदोन्नति, प्रशासन और गृह आवंटन आदि मामलों में शामिल किया जाता है।

6.0 जनशक्ति

31.03.2009 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4643 थी। वर्ष के दौरान 75 व्यक्तियों की समूह क, ख, ग एवं घ में नियुक्ति की गई। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल 24 लोग पद मुक्त हुए। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 415 तथा 1767 हैं, इन दोनो वर्गों का प्रतिनिधित्व कम्पनी की कुल जनशक्ति का 46.99 प्रतिशत है। 31.03.2009 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 44 तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मियों की संख्या 49 थी। सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कम्पनी में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध कर्मचारियों की प्रबन्धन में भागीदारी की नीति का परिणाम है। इसके अन्तर्गत शाप परिषद की बैठक नियमित रूप से हुई। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान शॉप परिषद् की 38 बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैयूटि निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे सुरक्षा समिति, कैन्टीन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स परिषद इत्यादि के भी सदस्य हैं। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दो के समाधान हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त परिषद् की बैठकें होती है।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित यथा संशोधित (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के अनुसार किसी भी कर्मचारी ने सीमा से अधिक वेतन नहीं पाया।

9.0 मानव संसाधन का विकास एवं प्रशिक्षण

आपकी कम्पनी मानती है कि मानव संसाधन का विकास कम्पनी के विकास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों की कार्यकुशलता और ज्ञान में वृद्धि के लिए आपकी कम्पनी में एक सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपकी कम्पनी का प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान 1308 कामगारो को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया, 100 लोगों को प्रशिक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया एवं 86 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में समारोह व कार्यशालाओं में भाग लेने तथा प्रशिक्षण के लिए

भेजा गया जिससे कि उनकी निपुणता तथा व्यवसायिक जानकारी में वृद्धि हो। 07 अधिकारियों को अन्तराष्ट्रीय समारोह तथा सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया।

10.0 सुरक्षा

आपकी कम्पनी ने अपनी सभी प्रचालित इकाईयों में औद्योगिक और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा के उच्च स्तर को कायम रखा है। जिससे आपकी कम्पनी में औद्योगिक दुर्घटना की दर कम रही और औद्योगिक स्वास्थ का उच्च मापदण्ड कायम रहा। विभिन्न विभागों में कार्यरत सुरक्षा समितियां एक दूसरे से समय–समय पर मिलती रही। कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी इकाईयों में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह समारोह का आयोजन भी किया गया। जादुगोड़ा में डी.जी.एम.एस. के अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधियों एवं प्रबंधन की बीच एक त्रिपक्षीय बैठक सुरक्षा स्तर की समीक्षा एवं भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए आयोजित की गई।

11.0 कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी तथा सामाजिक सुविधाएं

आपकी कम्पनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कम्पनी, अपनी कार्यरत इकाईयों के आस–पास के गाँवों के युवाओं को उनकी स्वास्थ, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के लिये ढाँचागत व आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस कार्य के लिये वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्थानीय युवाओं के प्रतिनिधियों का संगठन बनाया गया है जिसे जरूरी वार्षिक बजट दिया जाता है।

स्थानीय बेराजगार युवकों को विभिन्न स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जन–शिक्षण संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संगठन) के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।

आपकी कम्पनी ने नरवापहाड़ में ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की है जहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्डधारी ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त कम्पनी अपनी इकाईयों के आस–पास के गाँवों में समय–समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है एवं ग्रामीणों में औषधियों का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है।

आपकी कम्पनी ने निकटवर्ती गाँवों के युवाओं को विशेष रूप से विस्थापित परिवारों के युवाओं को उद्योगों के लिये आवश्यक कार्यकुशलता सिखाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है। यूसिल की प्रचालनरत इकाईयों के आस–पास रहने वाले लोगों की आवश्यकतायों और आकांक्षाओं को जानने के लिए जेवियर्स सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को दिशा मिली है।

आँध्रप्रदेश, तुमल्लापल्ली परियोजना के आस–पास के क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। आपकी कम्पनी द्वारा सौर्यऊर्जा द्वारा चालित प्रकाश की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वर्ष आस–पास के गाँवों से उच्च शिक्षा के लिए 10 मेधावी छात्रों को चयनित कर उन्हें मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आस–पास के गाँवों में नियमित रूप से चिकित्सा शिविर लगाए गयें है जहाँ पर निःशुल्क औषध भी प्रदान की जाती है।

मेघालय के के.पी.एम. परियोजना क्षेत्र के आस–पास आपकी कम्पनी द्वारा लगातार कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। जिनमें सड़क निर्माण, विद्यालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का संचालन आदि शामिल है।

इससे कम्पनी की समाजिक सरोकारो के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में जागरूकता फैली है और

निदेशकों का प्रतिवेदन

आशा है कि कम्पनी के कार्यकलाप आरम्भ होने के पूर्व इससे स्थानीय लोगों में सद्भावना पैदा होगी।

12.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक–II में दी गयी है।

13.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा के वर्ष कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

14.0 पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण

पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण को कम्पनी उच्चतम प्राथमिकता देती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा जादुगोड़ा, नरवापहाड़ और तुरामडीह में प्रचालन संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में विकिरण स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वाह्यगामा रेडिएसन, रेडॉन सान्द्रता, वायु में अल्फा कणों की उपस्थिति और भूमि एवं भूमि के नीचे उपस्थित जल, खाद्य पदार्थों एवं मिट्टी आदि में रेडियम व यूरेनियम जैसे रेडियो न्यूक्लाइड्स की सान्द्रता का आकलन नियमित रूप से किया जाता है। आपकी कम्पनी ने अपनी इकाईयों एवं रिहायशी क्षेत्रो में स्वस्थ पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण की स्थापना के लिये विशेष कदम उठाए हैं। इस दिशा में कम्पनी द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। आस पास के गाँव के लोगों को भी वृक्षारोपण के लिये उत्साहित करने के लिये निःशुल्क पौधे दिये जाते हैं।

15.0 आई॰ एस॰ ओ॰ प्रमाणीकरण

आपके निदेशकगण आपको यह बताते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि कम्पनी को आई॰एस॰ओ॰ 9001:2000 तथा आई॰एस॰ओ॰ 14001:2004 तथा आई॰एस॰ 18001:2007 का प्रमाण–पत्र इसके गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था, पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था तथा व्यवसायिक स्वास्थ तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रदान किया गया है। इससे पता चलता है कि कम्पनी सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रचालन के लिए वर्तमान एवं आने वाली परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है।

16.0 लघु उद्योग – धंधे

इस वर्ष भी आपकी कम्पनी ने अपने आसपास के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिये उनके उत्पादों का अधिकतम मात्रा में क्रय किया है।

17.0 विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 12.49 लाख रूपया खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 3.46 लाख रूपया खर्च हुआ था।

18.0 विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रू॰ 210.28 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन एवं प्रचार कार्य पर 103.31 लाख रूपया खर्च हुआ। यह खर्च अधिकांशतः नियुक्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया।

19.0 अतिथिगृह पर खर्च

इस मद पर कुल (मूल्यह्रास, मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित) 51.23 लाख रूपया खर्च हुआ। पिछले वर्ष यह खर्च 35.81 लाख रूपये था।

20.0 राजभाषा नीति

वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत बने प्रावधानों एवं नियमों को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास जारी रखा है। प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती है। कर्मचारियों को प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नकद पुरस्कार प्रदान किये गए। हिन्दी कार्यशाला समय–समय पर आयोजित की गई। वर्तमान समीक्षा वर्ष में भारत सरकार के राजभाषा विभाग की शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षा में 04 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए।

21.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट, द्वारा श्री एच. एन. झा, फ्लैट सं. 3, एन. रोड, श्रेष्ठा अपार्टमेन्ट, प्रथम तल, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001 को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

22.0 सतर्कता

कम्पनी का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के आधीन कार्य करता है और वह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। इसके

अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 07 वरिष्ठ अधिकारी आकस्मिक जाँच करने तथा भँडार एवं अन्य कार्यों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को समय–समय पर प्रतिवेदन/रिटर्न भेजे गये। कम्पनी में 03–07 नवम्बर 2008 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निवारक सतर्कता उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये विभिन्न प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों का संस्थान में कड़ाई से पालन होता है।

23.0 निदेशकगण (नियुक्ति/अवसान)

श्री अशोक कुमार बसु, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार 31.08.2009 से कम्पनी के निदेशक पद पर नहीं रहे। निदेशक के रूप में बहुमूल्य सेवाओं के लिये आपके निदेशकगण श्री बसु की सराहना करते हैं।

24.0 भावी दृष्टिकोण

आपके निदेशकगण यह बताते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि कम्पनी द्वारा लिए जा रहे विस्तारण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2008–2009 के दौरान बागजाता भूमिगत खान, बादुहुरांग खान अपने विस्तारण क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है और तुरामडीह संयंत्र भी चालु हो गया है। जादुगोड़ा और तुरामडीह संयंत्र का विस्तारण कार्यक्रम, माहुलडीह खान का निर्माण और तुमल्लापल्ली परियोजना का कार्य संतोष जनक रूप से चल रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट प्राधिकरण ने लाम्बापुर परियोजना से संबंधित निर्णय कम्पनी के पक्ष में दिया है। मेघालय सरकार ने परियोजना पूर्व के कार्यकलापों के लिए 209 करोड़ रूपये के यूसिल के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। नाभिकीय क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय सहयोग में विकास लाने के लिये यूसीआईएल बाहर से भी यूरेनियम प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

उपर्युक्त सभी कार्यकलापों से आपके निदेशकगण को विश्वास है कि आपकी कम्पनी देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकताओं को पूरा कर पायेगी।

25.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि–

(i) वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।

(ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य है। इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वितीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है।

(iv) आपके निदेशकों ने चालू संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

22.0 आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा झारखण्ड सरकार, कम्पनी मामलों के विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों नियंत्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक, कानूनी लेखा परीक्षकों, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा परिषद–II कोलकाता तथा बैंकों तथा अन्य संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से सम्बन्धित है से प्राप्त सुझाव एवं सहायता के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

अंत में, आपके निदेशकगण सभी कर्मचारियों द्वारा निष्ठा एवं समर्पण के भाव से किये गये कार्यों तथा कर्मचारी यूनियनों एवं अधिकारियों के संगठन द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जादुगोड़ा
22 सितम्बर, 2009

आर॰ गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट–I

कम्पनी नियम, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिया गया) विवरण

ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

1. ऊर्जा सक्षम सी.एफ.एल. लैम्प को भूमिगत खादानों एवं अन्य स्थलों में लगातार लगाया जा रहा है।
2. परम्परागत चोक (बैलैस्ट) के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाए जा रहे हैं।
3. चेंज रूप में कामगारों के लिए सौर ऊर्जा वाटर हीटर लगाए जा रहे हैं।
4. स्वचालित नियंत्रण वाली एच.पी.एस.वी. स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं।

(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त विनियोग के साथ निम्न प्रस्तावों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1. घनात्मक पम्प लगाए जाने के फलस्वरूप पम्प चालन के घंटों में 20% की कमी आई है। इसमें नये संशोधित सम्प निर्माण करने की आवश्यकता है जिसकी लागत प्रतिसेट लागत 10 लाख रूपये आएगी।
2. केपॉशिटर बैंक की स्थापना से पावर फैक्टर में सुधार हुआ है।

(ग) (क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने का प्रभाव

(क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने के बाद सम्बंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आयेगी।

विदेशी मुद्रका का अर्जन एवं उपयोग

यह कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूर्जों एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर इस वर्ष 3175.94 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया।

प्रपत्र – बी

अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र।

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशेष क्षेत्र जहाँ कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया।

क) नयी खदानों से निकलने वाले खनिज के स्वरूप व संयंत्र में भेजे जाने वाले खनिज के अनुपात को ध्यान में रखकर जादुगोड़ा व तुरामडीह संयंत्रों के प्रक्रिया मानकों का अनुकूलन किया गया है।

ख) तुरामडीह यूरेनियम संयंत्र की टेलिंग्स स्लरी/ई.टी.पी. में प्राप्त लीकर का उदासीकरण।

ग) मैग्नेशियम डाई यूरेनेट के स्थान पर यूरेनियम पॅराक्साइड का उत्पादन।

घ) यूसील एवं बी.ए.आर.सी. के वैज्ञानिकों को एक संयुक्त टीम द्वारा पॉयलट प्लांट में निम्नलिखित बातों पर अध्ययन किया गया

I. गोगी यूरेनियम भण्डार के विकास हेतु प्रक्रिया मानक तैयार करना।

ii. तुमल्लापल्ली अयस्क की लीचिंग हेतु श्रेष्ठतम उपायों द्वारा बेल्ट फिल्टर प्रणाली को अपनाते हुए स्लरी की लीचिंग करना।

iii. तुमलापल्ली अयस्क के संशोधन के दौरान सोडियम सल्फेट का स्वाकरण (क्रिस्टलाईजेशन)।

2. उपर्युक्त आर एण्ड डी के कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ

i. जादुगोड़ा और तुरामडीह संयंत्रों की क्षमता में सुधार दर्ज की गई है।

ii. ई.टी.पी. के द्रव्यों में बेरियम–रेडियम मिश्रण के उदासीकरण के दौरान निक्षेपित मात्रा आशानुकूल प्राप्त हुई।

iii. अंतिम उत्पाद के रूप में यूरेनियम परॉक्साइड का उत्पादन करने के लिए फ्लोशीट को अंतिम रूप दे दिया गया।

3. **भविष्य की रूप रेखा**

क) फ्लोशीट को अंतिम रूप देने के लिए अधिक प्रयोग / अध्ययन एवं गोगी के यूरेनियम अयस्क का श्रेष्ठतमीकरण करना।

ख) प्रक्रियाओं को विकसित कर यूरेनियम विश्लेषण के लिए आई.सी.पी. – ए.ई.एस. को लागू करना।

ग) यूसिल के सभी संयंत्रों में यूरेनियम पैरोक्साइट के उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं का कार्यन्वयन।

4. **अनुसंधान एवं विकास पर खर्च**

(क)	पूँजी	रू॰	79.61 लाख
(ख)	राजस्व	रू॰	106.57 लाख
	कुल	रू॰	186.18 लाख

5. **प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण**

कम्पनी ने यूरेनियम के खनन तथा संसाधन में अत्याधुनिक तकनीकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने का प्रयास किया है।

(क) देश में पहली बार भूमिगत खदान में विस्फोटक की बड़ी मात्रा को विस्फोट करने का सफल प्रयोग किया गया।

(ख) हाइड्रोलिक सिलिडंर, पम्प, मोटर एवं अन्य उपकरणों की जाँच करने के लिए नरवापहाड़ में हाइड्रोलिक जाँच बेंच की स्थापना।

(ग) त्रीआयामी अयस्क बॉडी मॉडलिंग और खान योजना के लिये नये सॅफ्टवेयर (माक्रोमाइन) का क्रय किया है और इसका सफलता पूर्वक कार्यान्वयन भी किया गया है।

(घ) तुरामडीह संयंत्र में पी.एल.सी. नियंत्रण प्रणाली जो मैन मशीन इन्टरफेस (एम.एम.आई.) पर आधारित है इसके साथ रिमोट द्वारा इनपुट–आउटपुट की सुविधा है जिसके द्वारा प्रक्रिया मानको ड्राइग्स के स्तरों, संबंधित प्रक्रिया वैरिएबल का नियंत्रण एवं उपकरणों का प्रचालन एवं प्लांट ग्राफिक्स ऑपरेटर स्टेशन का कार्यान्वयन का कार्य सफलता पूर्वक किया गया।

(ङ) एम. डी. यू. के स्थान पर यूरेनियम परॉक्साइड (UO_4, H_2O) के निक्षेपण के लिए प्रक्रिया द्वारा इसका अंतिम उत्पाद के रूप में प्रक्रिया पथ तैयार किया गया है और यह कार्यान्वयनाधीन है।

(च) टेलिंग्स लाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए प्रेशर सेंसर की स्थापना की गई है।

अंशधारियों को निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक परिशिष्ट – II

कॉरपोरेट अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता एवं स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है। आपकी कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास है। निदेशक मंडल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 31.03.2009 को बोर्ड में 7 निदेशक है जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक है यथा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) तथा (ii) 7 अल्प अवधि के गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2009 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की 4 बैठकें आयोजित की गई जो इस प्रकार है – 27.06.2008, 25.09.2008, 29.12.2008 तथा 30.03.2009। निदेशकों की संख्या उनकी, बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :–

31.03.2009 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		25.9.08 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री आर. गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	हाँ	–
श्री डी. आचार्या निदेशक (तकनीकी)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	नहीं	–
श्री आर. पी. गुप्ता निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	नहीं	
गैर कार्यकारी निदेशक					
श्रीमती रेवती अय्यर संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम) डी.ए.इ.	अंशकालिक पदेन	04	03	हाँ	02
श्री वी. आर. सदाशिवम संयुक्त सचिव (वित्त)	अंशकालिक पदेन	04	04	हाँ	04
श्री ए. के. बसु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	अंशकालिक पदेन	04	03	नहीं	03
श्री एस. पी. मेहरोत्रा निदेशक, एन.एम.एल.	अंशकालिक	04	03	नहीं	01
श्री एम. एल. मजुमदार सेवानिवृत्त भारत सरकार के सचिव	अंशकालिक	04	04	नहीं	03
श्री आर. एन. जयराज मुख्य कार्यकारी निदेशक, एन.एफ.सी.	अंशकालिक	04	03	नहीं	01
डॉ० अंजन चाकी निदेशक, ए.एम.डी.	अंशकालिक	04	04	नहीं	–

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा – 617 के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यस्थ निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी है अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने परकोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है।

लेखा परीक्षण समिति

31.03.2009 के अनुसार लेखा परीक्षण समिति का गठन किया गया –

1. श्रीमती रेवती अय्यर : अध्यक्ष
   संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम)
   परमाणु ऊर्जा विभाग
2. श्री वी. आर. सदाशिवम : सदस्य
   संयुक्त सचिव (वित्त)
   परमाणु ऊर्जा विभाग
3. श्री डी. आचार्या : सदस्य
   निदेशक (तकनीकी)
   यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4. श्री आर. एन. जयराज : सदस्य
   मुख्य कार्यकारी
   एन. एफ. सी.

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई जो 27.06.2008, 25.09.2008, 29.12.2008 तथा 30.03.2009 को आयोजित की गई। समिति ने कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन 2008–09 की समीक्षा की तथा इसके साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा की।

साधारण बैठकें :

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2005–06 (एजीएम)	22.09.2006	13.00 बजे	यूसील, शिलाँग
2006–07 (एजीएम)	25.09.2007	13.00 बजे	डीएई, मुम्बई
2007–08 (एजीएम)	25.09.2008	13.00 बजे	डीएई गेस्ट हाऊस, नई दिल्ली

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक–I

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2008–09	2007–08	2007–08 की तुलना में वृद्धि / कमी
(क)	**परिचालन परिणाम**			
	टर्नओवर	37,429.95	28,087.81	9,342.14
	सकल आय	41,462.48	30,436.32	11,026.17
	सकल व्यय	35,349.49	28,193.77	7,155.73
	सकल लाभ	6,112.98	2,242.55	3,870.43
	कर पूर्व लाभ एवं पूर्व अवधि का समायोजन	6,004.40	2,141.83	3,862.58
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	1,800.98	1,462.78	338.20
(ख)	**वर्ष के अन्त की वित्तीय स्थिति**			
	शेयर पूँजी	107,764.78	84,164.78	23,600.00
	आरक्षित एवं अधिशेष	13,684.25	12,433.14	1,251.10
	नियोजित पूंजी	91,618.01	45,887.22	45,730.78
	निवल मालियत	121,449.03	96,597.92	24,851.10
	सकल निरुद्ध पूंजी	117,101.32	67,254.06	49,847.26
	मूल्य – ह्रास	33,914.00	31,011.89	2,902.11
	शुद्ध निरुद्ध पूंजी	83,187.32	36,242.17	46,945.15
	सम्पत्ति सूची	7,531.81	4,572.46	2,959.34
(ग)	**लाभकारिता तथा अन्य अनुपात**			
	i) प्रतिशतता :			
	बिक्री में सकल लाभ / (हानि)	16.33	7.98	
	बिक्री में शुद्ध लाभ / (हानि)	4.81	5.21	
	निवल मालियत में सकल लाभ / (हानि)	5.03	2.32	
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ / (हानि)	1.48	1.51	
	नियोजित पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	6.67	4.89	
	नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ / (हानि)	1.97	3.19	
	इकाई पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	5.67	2.66	
	बिक्री में माल सूची	20.12	16.28	
	नियोजित पूंजी में बिक्री	40.85	61.21	
	ii) अनुपात :			
	चालू परिसम्पत्ति से चालू देयता	1.16 : 1	1.48 : 1	
	तत्काल परिसम्पत्ति से देयता	0.94 : 1	1.20 : 1	

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2009 तथा 2008 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2008–09	2007–08	2007–08 की तुलना में वृद्धि / कमी
1.	**कम्पनी का स्वामित्व**			
	(क) अचल परिसम्पत्ति			
	सकल ब्लाक	**117,101.32**	67,254.06	49,847.26
	घटाया : मूल्यह्रास	**33,914.00**	31,011.89	2,902.11
		83,187.32	36,242.17	46,945.15
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य / स्टॉक	**36,687.63**	54,060.12	(17,372.49)
	उप–योग (क)	**119,874.95**	90,302.29	29,572.66
	(ख) चालू परिसम्पत्तियाँ			
	i) व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष सामग्री देनदारी, उपचित ब्याज	**12,818.34**	7,378.99	5,439.35
	ii) नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**4,457.62**	3,305.30	1,152.33
	iii) नगद तथा बैंक में जमा शेष राशि	**26,456.81**	16,450.71	10,006.10
	उप–योग (ख)	**43,732.77**	27,134.99	16,597.78
	योग – 1 (क + ख)	**163,607.72**	117,437.28	46,170.44
2.	**कम्पनी का ऋण**			
	(क) माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए	**35,302.08**	17,489.94	17,812.14
	(ख) **कम्पनी की शुद्ध मालियत**			
	अंश पूँजी	**107,764.78**	84,164.78	23,600.00
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**13,684.25**	12,433.14	1,251.11
	उप–योग (ख)	**121,449.03**	96,597.92	24,851.11
	(ग) **स्थगित कर दायित्व (ग)**	**6,856.61**	3,349.42	3,507.19
	योग 2(2 + ख + ग)	**163,607.72**	117,437.28	46,170.44

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2009 एवं 2008 का संक्षिप्त लाभ–हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2008–09	2007–08	2007–08 की तुलना में वृद्धि / कमी
1.	**कम्पनी का आय**			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	**37,044.88**	27,728.49	9,316.39
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	**345.28**	310.85	34.43
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	**2,338.89**	2,272.89	66.00
	उप–योग	**39,729.05**	30,312.23	9,416.82
	(घ) अन्तिम स्टॉक में (वृद्धि / ह्रास)	**1,733.43**	124.09	1,609.34
	योग (1)	**41,462.48**	30,436.32	11,026.16
2.	**कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था**			
	(क) उत्पादन प्रशासनिक खर्चे	**33,851.69**	25,860.20	7,991.49
	(ख) अन्य खर्चे	**205.33**	144.73	60.60
	(ग) मूल्यह्रास	**2,754.55**	2,517.89	236.66
	(घ) पूँजीगत लेखे में हस्तान्तरित व्यय (परीक्षणाधीन तुरामडीह मिल से संबंधित)	**(1,462.08)**	(329.05)	(1,133.03)
	योग (2)	**35,349.49**	28,193.77	7,155.72

अनुलग्नक–III (क्रमशः)

31 मार्च, 2009 एवं 2008 का संक्षिप्त लाभ–हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2008–09	2007–08	2007–08 की तुलना में वृद्धि / कमी
3.	**समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1–2)**	**6,112.98**	2,242.55	3,870.43
4.	**जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया**			
	पूर्वकालिक समायोजन	**(108.57)**	(100.72)	(7.85)
	कर पूर्व लाभ	**6,004.41**	2,141.83	3,862.58
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	**4,203.43**	679.05	3,524.38
	कर के बाद लाभ	**1,800.98**	1,462.78	338.20
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	**9,159.11**	8,499.21	659.90
	विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	**10,960.09**	9,961.99	998.10
	विनियोजन			
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	**470.00**	370.00	100.00
	प्रस्तावित लाभांश	**470.00**	370.00	100.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**79.88**	62.88	17.00
	उप–योग (4 ख)	**1,019.88**	802.88	217.00
	अधिशेष को तुलनपत्र में लाया गया (4 क – 4 ख)	**9,940.21**	9,159.11	781.10

आय का वर्गीकरण

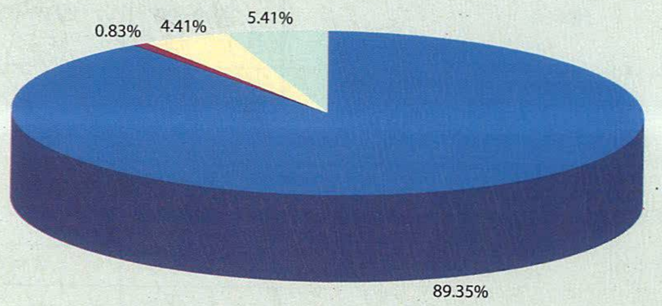

- U3O8 की क्षतिपूर्ति रू. 370.45 करोड़ (89.35%)
- गौण–उत्पादों की विक्री रू. 3.45 करोड़ (0.83%)
- व्याज रू. 18.28 करोड़ (4.41%)
- अन्य आय रू. 22.44 करोड़ (5.41%)

आय का वितरण

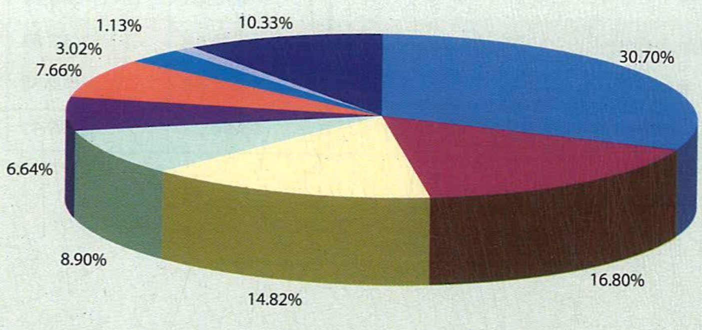

- कर्मचारियों का भुगतान, रू. 127.28 करोड़ (30.70%)
- मरम्मत एवं अनुरक्षण, रू. 69.66 करोड़ (16.80%)
- स्टोर्स एवं स्पेयर्स, रू. 61.43 करोड़ (14.82%)
- ऊर्जा, रू. 36.88 करोड़ (8.90%)
- अवमूल्यन, रू. 27.55 करोड़ (6.64%)
- अन्य व्यवसायिक व्यय, रू. 31.78 करोड़ (7.66%)
- कर उपरान्त लाभ, रू. 12.51 करोड़ (3.02%)
- लाभांश, रू. 4.70 करोड़ (1.13%)
- कर, रू. 42.83 करोड़ (10.33%)

आय

450
350
250
150
50
-50
करोड़ रूपये में
146.14
146.45
166.31
190.92
207.17
257.10
281.91
297.81
304.36
414.62
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
वर्ष

निवल मालियत

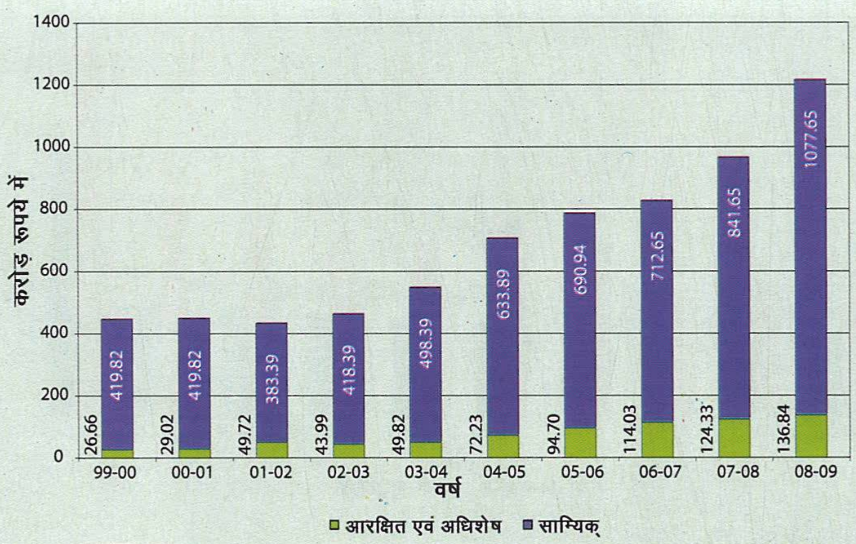
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
करोड़ रूपये में
26.66
419.82
29.02
419.82
49.72
383.39
43.99
418.39
49.82
498.39
72.23
633.89
94.70
690.94
114.03
712.65
124.33
841.65
136.84
1077.65
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
वर्ष
आरक्षित एवं अधिशेष
साम्यिक्

नियोजित पूँजी में वृद्धि

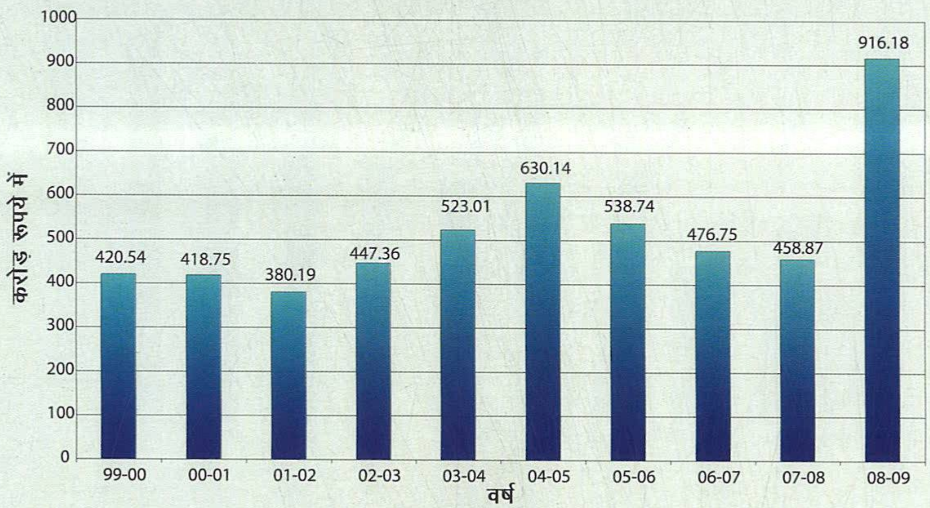

सकल तथा शुद्ध पूँजी

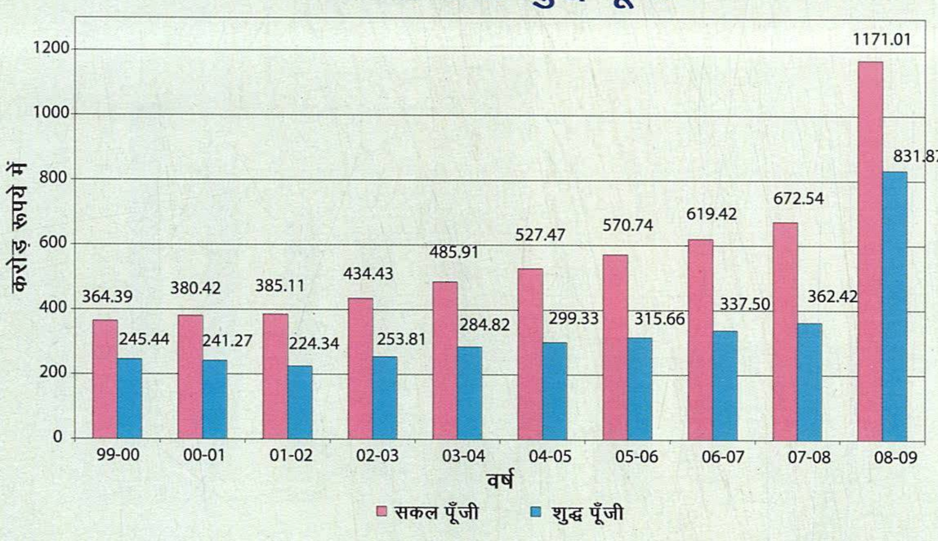

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण
जादुगोड़ा

1. हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 का संलग्न तुलन–पत्र इसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण का अंकेक्षण किया। यह वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों का अंकेक्षण कर अपना अभिमत प्रकट करना है।

2. हमने लेखा परीक्षण भारत में अपनाई गई स्वीकृत मानक लेखा परीक्षण पद्धति के अनुसार किया है। इसके अनुसार इस प्रकार लेखा परीक्षण करना चाहिए जिससे कि हम न्यायपूर्वक विश्वास दिला सकें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण को शामिल नहीं किया गया है। लेखा परीक्षण को जाँच परीक्षा की तरह किया जाता है जिसमें राशियों का समर्थन करते साक्ष्य तथा अनुलग्नक में उल्लेख रहता है। लेखा परीक्षण में लेखा उद्देश्यों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा विश्वसनीय अनुमान एवं प्रस्तुत किये गये सभी वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन रहता है। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा जो लेखा परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्यायसंगत आधार प्रस्तुत करता है।

3. (क) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के आदेश के तहत (जैसा कि टिप्पणी–1 लेखा अनुसूची–15 में निर्देशित किया गया है) कम्पनी को निम्नलिखित विषय से संबंधित किसी प्रकार की सूचना को उद्‌घाटित करना निषिद्ध है।

   क) लाइसेंस क्षमता

   ख) संस्थापित क्षमता

   ग) वास्तविक उत्पादन

   घ) कच्चे माल का क्रय एवं उपार्जन

   ङ) उत्पादित वस्तुओं के प्रारंभिक एवं अन्तिम स्टॉक

   तथा कम्पनी में कच्चे मालों का टर्नओवर तथा उपयोग का मात्रात्मक सूचना। तद्‌नुसार कम्पनी द्वारा उपयुक्त सूचनाएँ वित्तीय विवरण में नहीं दी गई।

   ख) तथापि इन सूचनाओं को सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8 (12)/2004–पीएसयू/448 दिनांक 09 जुलाई 2004 के तहत इस दशा में दी गई है कि उपर्युक्त आँकड़े लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में नहीं दी जाये।

4. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी आदेश 2003 (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) एवं कम्पनी द्वारा यथा संशोधित (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) संशोधन आदेश 2004 के आदेशों सहित में की गई अपेक्षा के अनुसार जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के उप धारा (4ए) में बताये गये विषय के अनुसार है। हम उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में दिये गये विषयों पर विवरण संलग्न अनुलग्नक में कर रहे हैं।

5. **ऊपर पैरा 4 में उल्लखित संलग्न में दिये हमारे मंतव्य के आगे हम सूचित करते हैं कि –**

   क) जादुगोड़ा मे भाटिन सहित 1312.62 एकड़ जमीन तथा माहुलडीह से 288.20 एकड़ जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। और 31.77 एकड़ जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हेक्टैयर के.पी.एम. में और 1301.38 एकड़ लाम्बापुर में अतिरिक्त जमीन के लिए अधिकृत प्राधिकरण के साथ पत्राचार किया जा रहा है। (संदर्भ लेखा अनुसूची – 15 टिप्पणी 2 क)

   ख) राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख है का डीड ऑफ कनवेयन्स लंबित है। (संदर्भ टिप्पणी 2 ख) अनुसूची 15।

   ग) मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन के उपयोग का एग्रीमेन्ट नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें कोई भी राशि नहीं दी गई। इसलिए इस भूमि के उपयोग के लिए लेखें में कोई प्रावधान नहीं किया गया (संदर्भ अनुसूची – 15 टिप्पणी संख्या 2 ग)

   घ) विभिन्न न्यायालयों में आकस्मिक देयताओं के पड़े विचाराधीन मामले के प्रावधान/निष्पत्ति का परिणाम उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखा में आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं दिखलाया गया है। (संदर्भ अनुसूची – 15 टिप्पणी संख्या – 6)

ङ) यद्यपि बाकी पुष्टि के लिए विभिन्न पार्टियों को देनदारी, लेनदारी तथा अग्रिम के अंतर्गत पत्र निर्गत किए जा चुके हैं परन्तु सिर्फ कुछ लोगों ने ही इसका जवाब दिया है। समाधान प्रगति में है। (संदर्भ संख्या 7 अनुसूची – 15)

च) कम्पनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह प्रोजेक्ट की सम्पत्ति की उस सीमा तक के लिए 1110.60 लाख रूपये के शेयर जारी करेगी जैसा कि उनके द्वारा जून, 2003 में निर्देश दिया गया था। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 9 बी अनुसूची – 15)

छ) वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 के लिये बिक्रीकर निर्धारण के दौरान, बिक्रीकर प्राधिकरण, झारखण्ड सरकार ने बिहार वित्त नियम, 1981 की धारा 13(1)(इ) के अन्तर्गत किये गये क्रय को अस्वीकृत कर इसके लिये रू. 2,86,03,236/– अतिरिक्त कर की मांग की थी। इस मांग को बिक्रीकर अपेलेट प्राधिकरण में चुनौती दी गयी थी। इस मामले में कम्पनी के पक्ष में निर्णय न आने पर वर्ष का लाभ प्रभावित होगा, क्योंकि लेखे में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (संदर्भ टिप्पणी संख्या – 13)

ज) इस वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अन्तर्गत दो नई धारायें 10 एवं 11 'खान बंदी दायित्व' और 'ऑपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय' शामिल किये गये हैं (संदर्भ अनुसूची – 14)। वर्तमान वर्ष और उससे पहले के काल में खान बंदी दायित्व में कुल व्यय क्रमशः 10,25,273.00 रूपये और 39,37,165.00 रूपये क्रमशः थे। बांदुहुरांग में ऑपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय जो कि क ल 122.35 करोड़ रूपये है को बीस साल में भारित किया गया।

झ) कम्पनी द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न परियोजना में कुछ विलम्ब है।

6. ऊपर पैरा 4 एवं 5 में बताये गये हमारे मंतव्यों के अनुसार जिसे लेखा टिप्पणी के साथ पढ़ा गया (अनुसूची – 15) हम आगे सूचित करते हैं कि –

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएं उपलब्ध कराई गई है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दौरान देखने को मिला।

ग) तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा–खाता के अनुसार है।

घ) हमारी राय में कम्पनी की तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड का पालन करते है।

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) एवं विवरण के प्रावधान सरकारी कम्पनीयों पर लागू नहीं होता है।

(च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखे उसके साथ दी गई व्याख्या संख्या 15 तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 के द्वारा माँगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्ची एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है।

1) जहाँ तुलन पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2009 तक कम्पनी के मामलों से सम्बंधित है।

2) जहाँ तक लाभ–हानि लेखा के सम्बंध में है वह कम्पनी के लाभ इसी तारीख तक का है।

3) जहाँ तक कैश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कम्पनी के इसी तारीख तक का है।

कृते **एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट**
सनदी लेखा पाल

डी॰ पी॰ साहा
साझेदार
सदस्यता संख्या 003935

स्थान – कोलकाता
दिनांक – 29 जून, 2009

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को कम्पनी के लेखा पर हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.00 के अन्तर्गत लेखा परीक्षको के प्रतिवेदन का अनुलग्नक)

(1) (क) कम्पनी निश्चित परिसम्पत्तियों का विवरण इलेक्ट्रानिक रूप में वर्ष 2005–06 से रख रही है जिसे प्रत्येक परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण देने योग्य होना चाहिए।

(ख) कम्पनी अपनी सभी अचल परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच 3 वर्षो में एक बार कराने का कार्यक्रम है जो हमारी राय तथा कम्पनी का आकार एवं सम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है। परिसम्पत्तियों की जाँच में कोई भिन्नता नहीं पाई गई। सभी सम्पत्तियों को विशेष नम्बर के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए विशेष रूप से वे संपत्तियाँ जो चल है और जहाँ सभी सम्पत्तियों का सत्यापन एक समय में नहीं किया जा रहा है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने अपने अचल परिसम्पत्तियों के किसी भी भाग को नहीं हटाया है। जिससे कम्पनी की चालू संस्थान की स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

(2) (क) जैसा कि हमें बताया गया सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान बाहरी पेशेवरो से उचित अन्तराल पर की गयी।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। हालाँकि नये स्थान पर शुरू की गई परियोजना विशेष रूप से तुमलापल्ली में ज्यादा जाँच की जरूरत है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। प्रत्यक्ष जाँच के दौरान पाई गई भिन्नता को लेखा बही में उचित रूप में ठीक कर लिया गया है।

(3) हमें दी गई व्याखाओं एवं सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने वैसे किसी कम्पनी फर्म या तीसरी पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है अथवा उनसे लिया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज है।

(4) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों की बिक्री के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल हैं। अपने अंकेक्षण के दौरान हमने आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी। हालाँकि वर्क कान्ट्रेक्ट के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण को पुनः विचार की जरूरत है।

(5) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, इस वर्ष में कोई लेनदेन नहीं हुआ जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जा सकें।

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की उप धारा 58ए तथा 58एए के अन्तर्गत तथा आर.वी.आई. द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(7) कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण इसके आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा सनदी लेखाकार फार्म द्वारा किया जाता है। हमारी राय में कम्पनी ने बढ़ते आकार एवं इसकी कार्य प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को इसके उद्देश्य तथा इसके क्षेत्र में और मजबूत किये जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से नई परियोजनायें जो विदेश के विभिन्न हिस्सों में फैली है।

(8) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अन्तर्गत कम्पनी को अपने उत्पादों का लागत अभिलेख रखने के लिए विनिहित किया है। हमने व्यापक रूप से उपर्युक्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा हम अपना मत व्यक्त करते है कि निर्धारित अभिलेख एवं लेखा सुव्यवस्थित रूप से रखे जाते है।

(9) (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सम्बंधित पदाधिकारी के पास जमा कराया जाता है। हमें बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा इस कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार बिक्री कर की वह बकाया राशि जो विवाद के कारण जमा नहीं की गयी वह इस प्रकार है।

कानून की प्रकृति	बकाया को प्रकृति	राशि (रू॰)	वह मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है	वर्ष
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	37885716.00	निर्धारण प्राधिकारी	1994–95 से 2005–06

(10) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कोई जमा हानि नहीं है। चालू एवं तुरंत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में नगद हानि नहीं हुई है।

(11) कम्पनी ने न तो किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण वापसी से कोई चूक की है और कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(12) हमारे द्वारा किये गये रिकार्डो की जाँच एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने न तो कोई ऋण, और न पेशगी का अनुमोदन किया है चाहे वह शेयर की सुरक्षा के आधार पर हो अथवा डिबेंचर या प्रतिभूति के आधार पर।

(13) कम्पनी चिटफंड, निधि / म्युचुअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है।

(14) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी शेयर, सेक्युरिटी, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती।

(15) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याखाओं के अनुसार कम्पनी ने किसी दूसरे के द्वारा लिए गये ऋण पर कोई गांरटी नहीं दी है चाहे वह बैंक से ली गई हो या अन्य वित्तीय संस्थानों से।

(16) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने कोई मियादी ऋण नहीं प्राप्त किया है।

(17) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने अल्प अवधि के लिए कोई निधि नहीं बनायी है जिसे लम्बी अवधि के लिए विनियोग किया गया हो।

(18) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्यख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्तमान वर्ष किसी कम्पनी/पार्टी को शेयर का प्रिफरेंशियल अलाटमेन्ट नहीं किया है।

(19) कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(20) कम्पनी ने पब्लिक इश्यु के द्वारा कोई राशि एकत्र नहीं की है।

(21) हमारी जानकारी में तथा हमारे विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं व्यख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी द्वारा/कम्पनी पर किसी प्रकार का धोखा न तो देखा गया या रिपोर्ट किया गया।

कृते **एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट**
सनदी लेखा पाल

डी॰ पी॰ साहा
साझेदार
सदस्यता संख्या 3935

स्थान – कोलकाता
दिनांक – 29 जून, 2009

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये वित्तीय रिपोटिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधान का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 227 के अन्तर्गत वित्तिय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यख्यातिम संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 29.06.2009 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा पाकिग कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डो के आधार पर किया गया है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सकें।

कृते एवं ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
नियंत्रक
ह०/–

डा० स्मिता एस. चौधरी
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–।।
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 16.07.2009

31 मार्च, 2009 की स्थिति का द्योतक तुलन–पत्र

	अनुसूची संख्या	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
I. निधियों के स्रोत		रुपये	रुपये
1. अंशधारियों की निधियाँ			
(क) पूँजी	1	1077,64,78,000	841,64,78,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	136,84,24,509	124,33,14,190
योग		1214,49,02,509	965,97,92,190
2. विलम्बित कर देनदारी		68,56,61,210	33,49,41,721
योग		1283,05,63,719	999,47,33,911
II. निधियों का उपयोग			
1. स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
(क) सकल निरुद्ध परिसम्पत्तियाँ	3	1171,01,31,702	672,54,05,988
(ख) घटाया : मूल्यह्रास		339,13,99,691	310,11,88,860
(ग) शुद्ध ब्लाक		831,87,32,011	362,42,17,128
(घ) पूँजीगत प्रगतिधीन कार्य	4	366,87,62,937	540,60,11,707
		1198,74,94,948	903,02,28,835
2. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
(अ) चालू परिसम्पत्तियाँ	5		
(क) सम्पत्ति सूची		75,31,80,446	45,72,46,343
(ख) फुटकर देनदारियाँ		37,92,79,328	13,67,69,319
(ग) नगद एवं बैंक में जमा शेष		264,56,81,259	164,50,70,612
(घ) उपचित ब्याज		14,93,73,744	14,38,83,233
		392,75,14,777	238,29,69,507
(ब) ऋण एवं अग्रिम	6	44,57,62,446	33,05,29,709
घटाया : चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	7	437,32,77,223	271,34,99,216
(क) चालू देनदारियाँ		339,45,89,194	160,53,80,130
(ख) प्रावधान		13,56,19,258	14,36,14,010
		353,02,08,452	174,89,94,140
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ		84,30,68,771	96,45,05,076
योग		1283,05,63,719	999,47,33,911
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ14			
लेखे पर की टिप्पणियाँ	15		

उपरोक्त उल्लिखित अनुसूचियाँ लेखे का एक अभिन्न भाग है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एवं एसोसियेट
सनदी लेखाकार

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : (03935)

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्य
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून 2009

31 मार्च, 2009 की स्थिति का द्योतक तुलन–पत्र

	अनुसूची संख्या	2008–2009	2007–2008
आय		रुपये	रुपये
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सान्द्रों की क्षतिपूर्ति		398,57,35,070	277,28,48,953
घटाया : पूंजीगत लेखा में स्थान्तरित आय		28,12,47,363	–
उप–योग		370,44,87,707	277,28,48,953
गौण उत्पादों की बिक्री		3,85,07,689	3,59,32,545
उप–योग		374,29,95,396	280,87,81,498
घटाया : गौण उत्पाद पर सीमा शुल्क		39,79,555	48,47,758
		373,90,15,841	280,39,33,740
ब्याज	8	18,27,70,208	18,19,40,938
अन्य आय	9	5,11,18,862	4,53,47,715
		397,29,04,911	303,12,22,393
स्टॉक में (ह्रास)/वृद्धि	10	17,33,42,648	1,24,09,248
उप–योग		414,62,47,559	304,36,31,641
व्यय			
विनिर्माण एवं प्रशासनिक व्यय	11	338,51,68,521	258,60,19,842
अन्य व्यय	12	2,05,33,201	1,44,72,998
ह्रास		27,54,55,095	25,17,88,589
उप–योग		368,11,56,817	285,22,81,429
घटाया – पूँजीगत लेखे में स्थान्तरित व्यय		14,62,07,607	3,29,04,908
योग		353,49,49,210	281,93,76,521
पूर्वकालिक समायोजन पूर्व लाभ		61,12,98,349	22,42,55,120
जोड़ा पूर्वकालिक समायोजन	13	(1,08,57,989)	(1,00,72,565)
कर पूर्व लाभ		60,04,40,360	21,41,82,555
घटाया : कर का प्रावधान			
वर्ष के लिए		6,81,00,000	8,82,00,000
पूर्व के वर्ष के लिए		(13,59,985)	(80,04,287)
आस्थगित कर		35,07,19,489	(1,52,29,979)
सीमांत लाभ कर		28,82,887	29,39,184
कर के पश्चात् लाभ		18,00,97,969	14,62,77,637
गत वर्ष से अग्रेनीत अधिशेष		91,59,10,937	84,99,21,450
विनियोग से पूर्व अधिशेष		109,60,08,906	99,61,99,087
विनियोग			
सामान्य आरक्षित निधि में प्रस्तावित स्थान्तरण		4,70,00,000	3,70,00,000
प्रस्तावित लाभांश		4,70,00,000	3,70,00,000
प्रस्तावित लाभांश पर कर		79,87,650	62,88,150
अधिशेष तुलन पत्र में लाया गया		99,40,21,256	91,59,10,937
प्रति शेयर मूल आय (रुपया में)		20.00	20.23
प्रति शेयर नगद आय (रुपया में)		19.76	20.23
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	14		
लेखे पर की टिप्पणियाँ	15		

उपरोक्त उल्लिखित अनुसूचियाँ लाभ–हानि का एक अभिन्न अंग है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते **एस. गांगुली एवं एसोसियेट**
सनदी लेखाकार

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : (03935)

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्य
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून 2009

अंश पूँजी

अनुसूची – 1

	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 1,00,00,000)	**1500,00,00,000**	1000,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/– रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/– रुपये नकद मूल्य लेकर किया गया।	**10,00,00,000**	10,00,00,000
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/– (विगत वर्ष 1853/–) साम्यिक अंश का आबंटन से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया।	**18,53,000**	18,53,000
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 98,69,625/– (विगत वर्ष 78,24,625/–) साम्यिक अंश जिसका भुगतान नकद किया	986,96,25,000	**782,46,25,000**
	997,14,78,000	792,64,78,000
बकाया शेयर पूँजी का निर्धारण		
साम्यिक पूँजी के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त	**80,50,00,000**	49,00,00,000
योग	**1077,64,78,000**	841,64,78,000

आरक्षित एवं अधिशेष निधि

अनुसूची – 2

		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
क) आरक्षित निधि			
1. पूँजीगत निधि		**2,11,158**	2,11,158
2. विनियोग भत्ता उपयोग आरक्षित निधि		**1,90,71,000**	1,90,71,000
3. सामान्य आरक्षित निधि प्रारम्भिक शेष	30,81,21,095		
जोड़ा : लाभ एवं हानि खाते से प्रस्तावित स्थानान्तरण	4,70,00,000	**35,51,21,095**	30,81,21,095
		37,44,03,253	32,74,03,253
ख) अधिशेष निधि			
लाभ–हानि खाते के अनुसार अधिशेष		**99,40,21,256**	91,59,10,937
योग		**136,84,24,509**	124,33,14,190

स्थिर

सकल निरुद्ध पूँजी

परिसंपत्तियों के किस्म	1.4.2008 को	समायोजन	विक्री समायोजन	31.3.2009 को
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
लीज भूमि	**6,78,97,525**	1,58,680	–	**6,80,56,205**
स्वतंत्र भूमि	**34,33,70,605**	52,08,840	–	**34,85,79,445**
फैक्टरी भवन	**85,54,85,031**	58,58,81,673	–	**144,13,66,704**
अन्य भवन	**76,49,97,348**	819,50,665	–	**84,69,48,013**
संयंत्र एवं मशीनरी	**391,71,99,592**	235,12,96,650	(77,80,187)	**626,07,16,055**
विद्युत, प्रतिस्थापन	**51,88,73,983**	68,50,40,676	–	**120,39,14,659**
ओपेनकास्ट खान	–	122,35,27,908	–	**122,35,27,908**
उपकरण एवं साज–समान	**3,51,29,769**	89,08,819	–	**4,40,38,588**
उपकरण	**6,98,88,460**	22,72,838	–	**7,21,61,298**
वाहन	**5,98,66,371**	11,09,012	–	**6,09,75,383**
अप्रत्यक्ष सम्पति (वन भूमि में उपयोग के लिए)	**9,26,97,304**	4,71,50,140	–	**13,98,47,444**
योग	**672,54,05,988**	499,25,05,901	(77,80,187)	**1171,01,31,702**
गत वर्ष	**619,42,35,704**	53,11,70,284	–	**672,54,05,988**

टिप्पणी : 1. वर्ष के लिए 29,79,91,017/– (विगत वर्ष रुपये 27,26,76,967/–) मूल्यह्रासित कर आवंटित किया गया

i) लाभ हानि खाता रु. 27,54,55,095/– (गत वर्ष रुपया 25,17,88,589/–)

ii) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रु. 2,25,35,922/– (गत वर्ष रु. 2,08,88,378/–)

2. रु. 5,000/– एवं उससे कम लागत की अचल परिसंपत्ति 16,03,869/– रुपये (गत वर्ष 19,32,449/–) को इस वर्ष पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया गया।

3. बाकी भवन में उच्च लेवेल पुल एवं उसकी सड़क शामिल है जिसके निर्माण (जो कम्पनी की अपनी जमीन पर नहीं है) में 419.78 लाख रूपये (विगत वर्ष 419.78 लाख रुपये) (सकल राशि) खर्च किये गये।

4. अप्रत्यक्ष संपत्ति 553.24 एकड़ (विगत वर्ष 443.03 एकड़) 1398.47 लाख रूपये लागत की (विगत वर्ष 926.97 लाख) वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त की गयी है एवं इसका स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है।

मूल्यह्रास					शुद्ध निद्ध पूँजी	
1.4.2008 को	इस वर्ष के लिए समायोजन	बिक्री व लिए	गत वर्ष के कुल प्रावधान	31.3.2009 तक	31.3.2009 को	31.3.2008 को
6	7	8	9	10	11	12
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
2,18,50,064	42,59,548	–	–	2,61,09,612	**4,19,46,593**	4,60,47,461
37,51,554	3,44,790	–	–	40,96,344	**34,44,83,101**	33,96,19,051
24,78,89,498	2,37,33,863	–	–	27,16,23,361	**116,97,43,343**	60,75,95,533
17,15,07,318	1,33,44,449	–	–	18,48,51,767	**66,20,96,246**	59,34,90,030
236,28,75,547	21,21,85,285	(77,80,186)	–	256,72,80,646	**369,34,35,409**	155,43,24,045
18,80,60,536	2,59,10,595	–	–	21,39,71,131	**98,99,43,528**	33,08,13,447
–	1,01,96,066	–	–	1,01,96,066	**121,33,31,842**	–
2,24,93,567	21,38,557	–	–	2,46,32,124	**1,94,06,464**	126,36,202
4,12,98,235	18,67,950	–	–	4,31,66,185	**2,89,95,113**	2,85,90,225
3,65,86,604	24,70,405	–	–	3,90,57,009	**2,19,18,374**	2,32,79,767
48,75,937 उपयोग के लिए)	15,39,509	–	–	64,15,446	**13,34,31,998**	8,78,21,367
310,11,88,860	29,79,91,017	(77,80,186)	–	339,13,99,691	**831,87,32,011**	362,42,17,128
281,92,18,549	27,26,76,967	–	92,93,344	310,11,88,860	**362,42,17,128**	337,50,17,155

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

अनुसूची – 4

			31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
			रूपये	रूपये
1.	जादुगोड़ा खान तथा संयंत्र		**4,28,76,909**	28,45,607
2.	नरवापहाड़ खान		**53,20,849**	–
3.	तुरामडीह खान परियोजना		**10,63,85,645**	11,26,30,865
4.	बागजाता खान परियोजना		**50,63,44,151**	47,63,02,894
5.	तुरामडीह मिल परियोजना		**29,14,49,863**	280,42,72,121
6.	बांदुहुरांग खान परियोजना		**21,89,133**	105,94,06,654
7.	माहुलडीह खान परियोजना		**5,30,81,972**	1,57,64,089
8.	तुमल्लापल्ली परियोजना		**119,53,38,993**	10,04,75,022
9.	तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना		**89,65,032**	–
10.	**परियोजना पूर्व के खर्चे**			
	क) लाम्बापुर परियोजना	4,99,64,895		4,82,64,926
	ख) के.पी.एम. परियोजना	5,34,99,983		4,11,02,735
			10,34,64,878	8,93,67,661
11.	पूँजीगत व्यय के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं/संवेदकों को अग्रिम		**130,52,71,012**	59,28,22,144
12.	स्टाक में पूंजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिस्थापन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु. 3,56,21,641/– (गत वर्ष रु. 12,63,78,317/–)		**4,80,74,500**	15,21,24,650
	योग		**366,87,62,937**	5,40,60,11,707

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 5

(क) चालू परिसंपत्तियाँ

			31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
		रूपये	रूपये	रूपये
1.	**माल सूची** (प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)		2,65,59,869	2,21,27,177
	अ) प्रत्यक्ष सामग्रियाँ			
	ब) भंडार एवं कलपूर्जे (शुद्ध पूँजीगत स्टॉक)			
	i) **भंडार एवं कलपूर्जे**	28,21,04,552		24,16,86,212
	ii) परियोजना के लिए भंडार एवं कलपूर्जे	–		7,34,05,775
	iii) मार्गस्थ भंडार	4,21,03,666		1,88,72,052
		32,42,08,218		33,39,64,039
	घटाया : अप्रयुक्त भंडार के लिए प्रावधान	1,53,63,183		1,46,61,684
			30,88,45,035	31,93,02,355
	स) व्यापाराधीन स्टॉक			
	i) अयस्क	28,56,68,770		9,06,97,354
	ii) प्रक्रियाधीन कार्य	11,84,31,897		1,31,39,092
	iii) उपोत्पाद	5,41,872		4,53,275
	iv) रद्दी माल	1,34,58,416		1,18,52,503
		41,81,00,955		11,61,42,224
	घटाया : प्रावधान (उपोत्पाद)	3,25,413		3,25,413
			41,77,75,542	11,58,16,811
	अग्रेनित योग (अ + ब + स)		75,31,80,446	45,72,46,343

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 5 (क्रमशः)

(क) चालू परिसंपत्तियाँ

		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
अग्रानीत		75,31,80,446	45,72,46,343
2. विविध देनदारियाँ (अप्रतिभूत)			
1. छः महीने से अधिक			
i) वसूली योग्य समझा गया	–		–
ii) संदेहास्पद समझा गया	–		–
	–		–
2. अन्य ऋण (वसूली योग्य)	37,92,79,328		13,67,69,319
	37,92,79,328	37,92,79,328	13,67,69,319
3. नकद एवं बैंक में जमा शेष			
1. नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं टिकट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है।	13,10,160		8,07,235
2. अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा शेष			
क) चालू खाता	72,87,12,949		64,64,642
ख) सावधि जमा खाता	191,56,58,150		163,77,98,735
		264,56,81,259	164,50,70,612
4. उपार्जित ब्याज		14,93,73,744	14,38,83,233
योग		392,75,14,777	238,29,69,507

टिप्पणी : साविधा जमा एकाउन्ट में बैंक गारंटी, एल.सी. सुविधा एवं अधिविकर्ष की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों का प्लेज भी शामिल है।

क्र.सं.	बैंक	बैंक गारंटी	एल.सी.सुविधा	अधिविकर्ष सुविधा
1.	भारतीय स्टेट बैंक, जादुगोड़ा	1,00,000	–	20,00,00,000
2.	आईडीबीआई बैंक, जमशेदपुर	–	25,00,00,000	33,12,00,000
3.	केनारा बैंक जमशेदपुर	–	–	44,03,14,370

अनुसूची – 6

(ख) ऋण एवं अग्रिम

		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
1. **नगद या वस्तु के रूप में या वस्तु के लिए वसूली योग्य अग्रिम**			
क) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई			
कर्मचारियों को दिया गया गृह–निर्माण अग्रिम		7,94,19,842	5,96,47,588
ख) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई			
क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	2,49,36,208		2,67,50,791
ख) आपूर्तिकर्त्ताओं को दिया गया अग्रिम			
अ) वसूली योग्य समझा गया	1,87,67,766		3,83,44,517
ब) संदेहास्पद समझा गया	2,33,491		3,35,457
	1,90,01,257		3,86,79,974
घटाया : संदेहास्पद पेशगियों का प्रावधान किया गया	2,33,491		3,35,457
	1,87,67,766		3,83,44,517
ग) ठेकदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम	7,45,59,099		4,13,02,055
घ) कर की अग्रिम राशि	12,61,89,037		15,22,40,213
ङ) वसूली योग्य अन्य राशियाँ			
i) वसूली योग्य समझा गया	11,55,46,060		61,83,829
ii) संदोहास्पद समझा गया	8,14,771		6,26,365
	11,63,60,831		68,10,194
घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	8,14,771		6,26,365
च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ	11,55,46,060		61,83,829
छ) पूर्व–प्रदत्त व्यय	33,47,732		34,59,260
	6,50,331		5,37,222
उपयोग (ख)		36,39,96,233	26,88,17,887
अग्रेनीत (क + ख)		44,34,16,075	32,84,65,475

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 6 (क्रमशः)

(ख) ऋण एवं अग्रिम

		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
अग्रनित		44,34,16,075	32,84,65,475
3. **जमा** (अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गयी)			
क) सीमा शुल्क तथा पत्तन आयुक्त	1,53,382		1,53,382
ख) सरकारी विभाग तथा अन्य	21,92,989		19,10,852
		23,46,371	20,64,234
योग		44,57,62,446	33,05,29,709

टिप्पणियाँ कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम में शामिल	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2008–2009 में बकाया अग्रिम की अधिकतम राशि	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2007–2008 में बकाया अग्रिम की अधिकतम राशि
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1. **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास बकाया अग्रिम**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान

अनुसूची – 7

		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
क) चालू देनदारियाँ			
1. फुटकर लेनदार			
क) लघु उद्योग	30,20,517		1,13,03,963
ख) अन्य	19,74,82,849		14,29,76,863
		20,05,03,366	15,42,80,826
2. ओवर ड्राफ्ट लेखा में		6,51,89,380	9,18,26,577
3. सावधि जमा पर ओवर ड्राफ्ट		74,97,71,713	–
4. अन्य देयताएँ		237,91,24,735	135,92,72,727
		339,45,89,194	160,53,80,130
ख) प्रावधान			
1. कर के लिये	7,10,75,887		9,12,32,184
2. प्रस्तावित लाभांश	4,70,00,000		3,70,00,000
3. प्रस्तावित लाभांश पर कर	79,87,650		62,88,150
4. अन्य प्रावधान	95,55,721		90,93,676
		13,56,19,258	14,36,14,010
योग		353,02,08,452	174,89,94,140

अनुसूची – 8

ब्याज

	2008–09	2007–08
	रुपये	रुपये
1. बैंक में जमा राशि पर	17,49,78,906	17,51,20,200
2. अन्य	77,91,302	68,20,738
योग	18,27,70,208	18,19,40,938

अन्य प्राप्तियाँ

अनुसूची – 9

		2008–09	2007–08
		रुपये	रुपये
1.	अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	**85,09,751**	1,94,19,752
2.	जप्त किये गये बयाना एवं प्रतिभूति की राशि	–	1,08,105
3.	उपकरणों तथा वाहनों का किराया	**3,48,509**	3,09,198
4.	आपूर्तिकर्त्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	**87,01,942**	52,12,482
5.	वास्तविक सत्यापन के समय पाये गये अतिरिक्त भंडार	**11,189**	31,469
6.	आवेदन शुल्क	**48,103**	1,59,450
7.	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	**11,19,550**	9,80,675
8.	बीमा के दावों के निपटारे की राशि	**8,572**	–
9.	आयकर पर ब्याज	–	4,12,913
10.	देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही		
	क) भंडार	–	5,05,370
	ख) अन्य	**49,49,668**	6,17,200
11.	आवासीय प्राप्तियाँ	**2,06,98,634**	1,66,92,016
12.	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**39,29,999**	–
13.	फुटकर	**27,92,945**	8,99,085
	योग	**5,11,18,862**	4,53,47,715

अयस्क, उपोत्पाद, प्रक्रियाधीन कार्य तथा स्क्रैप के भंडार में अभिवृद्धि / (कमी)

अनुसूची – 10

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार रुपये	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार रुपये
प्रारम्भिक शेष		
अयस्क	**9,06,97,354**	7,64,44,306
गौण–उत्पाद	**4,53,275**	22,44,183
प्रक्रियाधीन कार्य	**1,31,39,092**	1,07,06,242
स्क्रैप	**1,18,52,503**	1,43,38,245
	11,61,42,224	10,37,32,976
जोड़ा : चालू परियोजना का भंडार		
क) बादुहुरांग खान अयस्क	**3,30,18,578**	–
ख) तुरामडीह मिल में प्रक्रियाधीन कार्य	**9,55,97,505**	–
	24,47,58,307	10,37,32,976
अंतिम शेष :		
अयस्क	**28,56,68,770**	9,06,97,354
गौण–उत्पाद	**5,41,872**	4,53,275
प्रक्रियाधीन कार्य	**11,84,31,897**	1,31,39,092
स्क्रैप	**1,34,58,416**	1,18,52,503
	41,81,00,955	11,61,42,224
भण्डार में पूर्ण अभिवृद्धि	**17,33,42,648**	1,24,09,248

उत्पादन तथा प्रशासनिक खर्चे

अनुसूची – 11

		2008–09	2007–08
		रुपये	रुपये
1.	वेतन तथा मजदूरी	**104,79,05,322**	83,57,30,457
2.	भविष्य निधि में अंशदान	**7,61,85,935**	6,92,72,254
3.	उपदान निधि में अंशदान	**10,91,63,497**	5,81,38,569
4.	कल्याण निधि में अंशदान	**90,130**	1,31,604
5.	सेवानिवृति कोषण में अंशदान	**73,26,889**	30,03,029
6.	छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	**69,61,533**	62,11,807
7.	कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	**2,51,75,016**	2,03,92,572
8.	बिजली	**36,88,16,108**	35,38,77,427
9.	पानी	**3,48,12,805**	3,43,59,989
10.	प्रत्यक्ष सामग्रियाँ उपभुक्त	**39,86,99,183**	21,16,12,322
11.	भंडार एवं उपभुक्त कलपूर्जे	**36,18,39,269**	29,99,31,248
12.	स्वामित्व शुल्क	**2,18,73,369**	26,31,395
13.	अयस्क की ढुलाई पर व्यय	**3,37,12,402**	2,78,30,966
14.	**मरम्मत एवं अनुरक्षण**		
	क) संयंत्र एवं मशीनरी	**47,17,72,140**	32,77,89,594
	ख) भवन	**3,29,83,675**	2,69,82,906
	ग) वाहन	**73,96,557**	62,70,991
	घ) अन्य	**18,44,16,474**	**14,47,12,532**
15.	सुरक्षा बल पर व्यय	**7,79,93,019**	4,97,36,537
16.	बीमा प्रभार	**11,99,598**	11,37,101
17.	शुल्क तथा कर	**47,44,128**	16,49,936
18.	नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	**5,28,24,372**	4,76,52,613
19.	यात्रा व्यय	**1,11,01,859**	72,87,103
20.	टेलीफोन–प्रभार	**24,50,180**	14,93,509
21.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**17,34,658**	28,31,370
22.	तार एवं डाक–व्यय	**7,38,123**	6,30,851
23.	विधि विषयक व्यय	**2,40,088**	1,95,950
24.	बैंक प्रभार	**1,96,836**	3,58,278
25.	विज्ञापनों पर व्यय	**71,60,146**	1,08,97,081
26.	अन्य विविध व्यय	**3,56,55,210**	3,32,69,851
	योग	**338,51,68,521**	258,60,19,842

टिप्पणी : क) वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ में जल की लागत से संबंधित 1,55,55,786 / – रुपये (गत वर्ष 1,23,61,642 / – रुपये) सम्मिलित नहीं है।

ख) कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिएरु. 1,00,49,765 / – (विगत वर्ष रु. 94,81,468 / – हुआ) वेतन तथा मजदूरी में शामिल।

ग) मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भंडार के 15,69,82,685 / – रुपये सम्मिलित है (गत वर्ष 11,41,23,935 / – रुपये) तथा कलपूर्जे के 31,47,89,455 / – रुपये (गत वर्ष के 21,36,65,659 / – रुपये) कुल 47,17,72,140 / – रुपये (गत वर्ष 32,77,89,594 / – रुपये) जिसे "भंडार एवं कलपूर्जे" में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य व्यय

अनुसूची – 12

	2008–09		2007–08	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
बिक्री कर		20,84,398		49,24,248
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
क) साविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,76,000		1,79,776	
ख) कर के लिए लेखा परीक्षा शुल्क	40,000		34,399	
ग) पॉकेट खर्च	40,000		35,000	
		2,56,000		2,49,175
आंतरिक अंकेक्षण शुल्क		5,24,665		5,67,144
वैट अंकेक्षण शुल्क		20,000		40,000
भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार		65,31,100		23,59,965
अप्रयुक्त भंडार जिसे बट्टे खाते में डाला गया		70,852		1,82,065
अप्रयुक्त भंडार का प्रावधान		7,01,499		10,01,050
दान		1,71,405		1,27,000
कारपोरेट का सामाजिक दायित्व व्यय		42,89,683		–
अशोध्य एवं सन्देहास्पद दावे/अग्रिम जिन्हें बट्टे खाते में डाला गया		1,88,406		–
ऑर्बिट्रेशन एवार्ड व्यय		1,76,797		1,76,797
स्क्रैप की बिक्री पर व्यय		2,60,582		4,17,309
ब्याज भुगतान किया गया		52,57,814		44,28,245
योग		2,05,33,201		1,44,72,998

अनुसूची – 13

पूर्वकालिक समायोजन

	2008–09	2007–08
	रुपये	रुपये
व्यय		
मूल्यह्रास	–	92,93,344
अन्य खर्च	1,08,57,989	7,79,221
योग	(1,08,57,989)	(1,00,72,565)

नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं

जैसा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार, के दिनांक 5 मार्च, 1969 के

विवरण	नगर क्षेत्र	विद्यालय शैक्षणिक सुविधाएँ	चिकित्सा सुविधा
	रुपये	रुपये	रुपये
वेतन तथा मजदूरी	3,62,73,949	4,26,68,149	1,98,38,716
भविष्य निध में कर्मचारियों का अंशदान	28,61,539	12,15,431	14,91,168
उपदान निधि में अंशदान	44,07,000	3,50,000	19,36,832
उपयोगिता	7,56,57,758	1,15,348	7,36,586
भंडार एवं कलपूर्जे का उपयोग	11,29,039	1,84,869	1,20,59,692
मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,74,39,444	1,10,708	3,98,272
अन्य व्यय			
क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	–	–	3,57,01,693
ख) अन्य व्यय	53,44,585	30,88,734	–
योग	**14,31,13,314**	**4,77,33,239**	**7;21,62,959**
जोड़ा : ह्रास	1,53,89,638	–	–
योग	**15,85,02,952**	**4,77,33,239**	**7,21,62,959**
घटाया : प्राप्तियाँ	1,80,54,554	2,06,357	17,17,324
कुल योग	**14,04,48,398**	**4,75,26,882**	**7,04,45,635**
गत वर्ष	**12,75,61,595**	**4,52,72,880**	**6,20,72,580**

(अतिथि गृह सहित) पर व्यय

कार्यालय ज्ञापन सं.बी.पी.ई / (17) ए.डी.वी. (7)/69 द्वारा अपेक्षित है

रियायती परिवहन सुविधा	सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ	अतिथि गृह पर व्यय	वर्ष 2008–09 के लिए	वर्ष 2007–08 के लिए
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
30,86,008	7,66,434	16,93,103	**10,43,26,359**	**9,11,82,561**
2,33,795	22,032	1,37,280	**59,61,245**	**52,71,266**
5,20,000	46,000	3,11,000	**75,70,832**	**39,73,203**
–	–	57,628	**7,65,67,321**	**6,18,77,321**
41,21,195	–	2,879	**1,74,97,674**	**1,47,89,414**
62,47,673	–	5,30,829	**2,47,26,925**	**3,06,75,748**
–	–	–	**3,57,01,693**	**3,30,79,915**
–	–	28,82,566	**1,13,15,886**	**1,15,19,470**
1,42,08,671	**8,34,466**	**56,15,285**	**28,36,67,935**	**25,23,68,898**
–	–	–	**1,53,89,638**	**1,52,15,207**
1,42,08,671	**8,34,466**	**56,15,285**	**29,90,57,573**	**26,75,84,105**
13,625	–	4,92,253	**2,04,84,113**	**1,66,95,196**
1,41,95,046	**8,34,466**	**51,23,032**	**27,85,73,460**	**25,08,88,909**
1,21,61,953	**2,38,897**	**35,81,004**	**25,08,88,909**	**21,12,82,402**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

अनुसूची – 14

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन उद्देश्यों, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोज्य कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. अनुमानों का प्रयोग :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चे को सूचित करता है। उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामों के अन्तर को जानने के बाद / कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है।

3. स्थिर परिसम्पत्तियाँ :

क) कुल मूल्यह्रास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिचालन के खर्चे भी शामिल है।

ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

ग) बीमाकृत कलपूर्जे जो केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयोग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें संबंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।

घ) सिस्टम साफ्टवेयर को संबंधित परिसम्पत्ति के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन साफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है।

4. पुँजीगत कार्य प्रगति पर :

पुँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्चे शामिल है तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्चे में शामिल किया गया है।

5. मूल्यह्रास :

क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची – 14 में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है। 01.04.1997 के पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिसम्पत्तियों के 01.04.1997 के प्रारंभिक शुद्ध मूल्य पर, मूल्यह्रास की निर्धारित दर जो परिसम्पत्तियों की अवशेष आयु के आधार पर निकाली गई है, के आधार पर लगाया गया है जैसाकि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची – 14 में दर्शाया गया है।

ख) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियाँ का समायोजन/निपटान मासिक यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित कर किया जाता है जिसमें अगले महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।

ग) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए ह्रासित किया गया।

घ) कुछ निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–14 में निर्धारित दर से अधिक लगाया गया है जिसका कारण उस सम्पत्ति के उपयोग की आयु तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कम आँका जाना है। जहाँ कहीं भी वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुमानित आयु को वास्तविक आयु से कम होने का अनुमान लगाया गया है वहाँ संशोधन किया जाता है एवं उसके शेष उपयोग की आयु पर मूल्यह्रास किया जाता है।

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर तृतीय चरण टेलिंग्स पौण्ड (स्लाईम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है।

ङ) टेलिंग्स पौंड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यह्रास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।

च) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यह्रास किया गया है।

छ) **अप्रत्यक्ष सम्पत्ति :** वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है।

ज) बीमाकृत कलपूर्जों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आयु से उस दर पर ह्रासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यह्रास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्जों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है।

झ) 5,000 रु. या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्णतः ह्रासित कर दिया जाता है।

6. **वस्तुओं का मूल्यांकन :**

क) **वस्तुओं का मान**

वस्तुओं को लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य मे जो भी कम हो पर लिया गया है।

ख) **लागत सूत्र**

i)	अयस्क एवं प्रंस्सकरणाधीन कार्य	:	लागत पद्धति अपनाने पर
ii)	प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूर्जे	:	भारित औसत लागत मूल्य पर
iii)	मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन माल	:	अधिग्रहित मूल्य पर
iv)	गौण–उत्पाद	:	परिवर्तित लागत पर
v)	स्क्रैप	:	अनुमानित मूल्य पर

ग) **खुले औजार**

खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

घ) **प्रयोज्य सम्पत्ति**

निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखलाया जाता है।

ङ) **अयोग्य/अप्रचलित भण्डार**

पुँजीगत भण्डार एवं बीमाकृत कलपुर्जों के अतरिक्त ऐसे भण्डार व कलपुर्जे जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचालित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनउपयुक्त घोषित की गयी सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।

7. **राजस्व की मान्यता :**

भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांन्द्र के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है।

8. **केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय में सहायता :**

केन्द्र सरकार से पुँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहां अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख–रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है।

9. **अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :**

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

10. **खान बंदी दायित्व :**

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957 (एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरूद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता केआधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधार पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

11. **ऑपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय :**

ऑपेन कास्ट खान के विकास पर हुये व्यय को अयोग्य पत्थर की पर्त को हटाने एवं खान के चालू होने की तिथि तक खनन बेंचो की तैयारी में हुए व्यय को खान की पूर्ण आयु पर परिशोधित किया जाता है।

12. **सेवा निवृति के लाभ :**

क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपार्जित आधार पर दिखलाया गया है।

ख) सेवा निवृति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखलाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।

ग) गैच्यूटि तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपार्जित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

घ) स्वैच्छिक सेवा निवृति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

13. **विदेशी मुद्रा का लेन–देन :**

विदेशी मुद्रा का लेन–देन उसी तारीख की प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन–देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित/बदला जाता है। पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डब्ल्यु आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ–हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है।

14. चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को विचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया जाता है। आस्थागित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाईमिंग डिस्टेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथा नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थागित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक लिया जाता है जहाँ तक न्यासंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा।

15. नगदी प्रवाह विवरण :

नगदी प्रवाह का अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नगद लेन–देन के प्रभावों की गैर नगदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थागित एवं उपार्जित प्राप्ति अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नगदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है।

16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों को निश्चित परिसम्पत्तियों में घटाया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यह्रासित किया जाता है। राजस्व खर्चे जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

17. पूर्व अवधि का समायोजन :

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप मे दिखलाया जाता है।

18. पूर्वदत्त व्यय :

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

19. लेखा की उपार्जित पद्धति के अपवाद :

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नगदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपार्जित व्यवस्था को अपनाती है।

क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्राविधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता।

ख) चिकित्सा, भण्डार, खेल, सामग्री, मुद्रण सामग्री, जलपान गृह तथा अतिथि गृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

20. सम्पत्तियों की क्षीणता :

(क) सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है, यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षीणता को आंका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिकी मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का पता लगाने से भविष्य के कैश फ्लो को नियोजित पूँजी से जिस भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है। उसमें वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है।

(ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो इसके उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

(ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यह्रास हानि की परिस्थियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हलांकि, इम्पेयरमेन्ट हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यह्रास) यह मानकर की पूर्व वर्ष में कोई इम्पेयरमेन्ट हानि नहीं निर्धारित की गई है कि आधार पर किया गया हो।

21. आकस्मिक दायित्व :

इसे आर्थिक चिट्ठा के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है। इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिट्ठा में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेगा।

22. प्रावधान :

पूर्व घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के भुगतान के लिये सम्भवतः संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका विश्वसनीय आंकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निस्पति किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है।

लेखे पर टिप्पणियाँ

अनुसूची – 15

1. (क) कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69–मिन. दिनांक 07 अगस्त 1973 तथा संख्या 7/6/69–मिन (पी.एस.यू.) दिनांक 3 जुलाई, 1974 की शर्तों की अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा अन्य प्रभार, गौण उत्पादो सहित माल के प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक, क्रय किये गये या अधिग्रहण किये गये कच्चे माल अनुज्ञप्ति एवं स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 (i), 3 (ii) (1), 3 (ii) (2) एवं 4 – सी भाग – ii की अनुसूची – 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है। इसी के अनुसार यह सूचना एवं जिसमें कच्चे माल, स्टॅक या कोई संबंधित खर्चे एवं यूरेनियम सांद्र का अनिवार्य अधिग्रहण और गौण उत्पाद आदि सांविधिक लेखा परीक्षक जो कि कम्पनी एक्ट–1956 की धारा–619(2) के अंतर्गत नियुक्त किए जाते थे को वर्ष 2002–03 तक नहीं दिए जाते थे।

   (ख) तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003–04 से सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004 – सरकारी उपक्रम/448ए दिनांक 9 जुलाई 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंकेक्षण को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेसिंयों को नहीं दिये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।

2. (क) कम्पनी ने नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़), तुमलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 2009.13 एकड़) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि, बांदुहुरांग में 686.86 एकड़ भूमि (गत वर्ष शून्य) एवं बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी भाटिन सहित जादुगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, महुलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 237.62 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पत्राचार कर रही है।

   (ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपया (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपया) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पति में "लीज की भूमि" तथा "स्वतंत्र भूमि" शीर्ष में सम्मिलित किया गया है।

   (ग) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।

3. वर्ष के दौरान मेघालय, मावथाबा में केंलेंग पेंडेंग सोहियोंग खनन एवं प्रसंस्करण (मिलिंग) परियोजना के कार्यान्वयन एवं आधारभूत संरचना विकास हेतु भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 20.00 करोड़ रुपया (गत वर्ष 20.00 करोड़) प्राप्त हुआ कुल 20.00 करोड़ की प्राप्त राशि में से 31.03.2009 तक रुपये 14,30,11,150 (गत वर्ष 9,26,39,049) करोड़ रुपये खर्च हो चुका है।

4. **आकस्मिक दायित्व तथा स्वीकारोक्ति** (लाख रुपया में)

		31.03.2009	31.03.2008
(क)	कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
	• न्यायलय में विचाराधीन	**4784.79**	3914.08
(ख)	साख–पत्र जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई	**18.92**	41.04
(ग)	उन ठेकों का अनुमानित मूल्य जिसे पूँजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है। तथा जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (शुद्ध आग्रिम)	**4780.75**	86761.00

5. वर्ष के दौरान झारखंड सरकार के द्वारा की गई विवादित रॉयल्टी मांग जो विभिन्न न्यायलयों में निर्णयाधनी है के विरूद्ध विरोध सहित रॉयल्टी के रूप में मैग्नेटाइट के लिए 1,65,63,062.11 तथा लघु खनिज के लिए ब्याज सहित 1,26,31,784,00 रुपये जिला खनन कार्यालय में जमा किया गया। इन लम्बित मामलों के न्यालय द्वारा अंतिम निर्णय होने तक मैग्नेटाइट के लिए जमा की गई रॉयल्टी एवं ब्याज को अग्रम के रूप में दर्शाया गया है एवं लघु खनिज के राजस्व को सम्पती के साथ पूँजीगत किया गया है उसके लिए इसका उपयोग किया गया था।

6. विभिन्न न्यायालयों में कुछ मामले लम्बित पड़े हुए हैं, जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आकस्मिक दायित्वों में इसे नहीं दिखलाया गया है, क्योंकि इस समय इसका सही आंकलन नहीं लगाया जा सका।

7. लेनदारों, देनदारों एवं अग्रिमों का शेष, सम्बंधित पक्षों के पुष्टिकरण पर निर्भर है एवं सम्पत्ति का समाधान प्रक्रियाधीन है।

8. पिछले वर्षों में 49,49,669 लाख रुपया (विगत वर्ष 11,22,570 रुपया लाख) की राशि का अधिक प्रावधान किया गया था उसे बदलकर अब आय में दिखलाया गया है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

	2008–09 रुपये	2007–08 रुपये
अप्रचलित भंडार	–	5,05,370
पुराना चेक	**2,10,303**	95,086
ओ एण्ड एम खर्चे	**1,40,966**	5,04,393
अन्य	**45,98,400**	17,721

9. (क) वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की सम्पत्ति को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को 2322 लाख रुपये में हस्तान्तरित कर दिया था। तुरामडीह खान को पुनः खोलने के लिए सी.आर.पी.एफ. से सम्पत्ति वापस ली गई है जिसके लिए सी.आर.पी.एफ. ने 3467 लाख रुपये का दावा किया है जिसमें 2500 लाख रुपया पहले ही चुकाया जा चुका है। अवशेष राशि 967 लाख रुपया के लिए लेखा में प्रावधान किया गया है।

(ख) कम्पनी बंद तुरामडीह परियोजना की भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों का उपयोग कर रही है जिसकी कीमत 1110.60 लाख रुपये (विगत वर्ष 1110.60 लाख) है जो भारत सरकार की है। इसके लिए लेखा में 1110.60 लाख रुपये का (विगत वर्ष 1110.60 लाख का) प्रावधान करना है जो भारत सरकार द्वारा बताया गया मूल्य है। कम्पनी भारत सरकार के नाम अंशपूँजी जारी करेगी जो भारतर सरकार के पत्र संख्या – 20 / 12 (1) / 95–पीएसयू / 180, दिनांक 18 जून 2003 के अनुसार है।

10. (क) वर्ष के दौरान कम्पनी ने प्राधिकृत अंश पूँजी में 1000 करोड़ रुपये से 1500 करोड रुपये की वृद्धि की है।

(ख) कम्पनी ने गत वर्ष एवं चालू वर्ष में प्राप्त हुए 204.50 करोड़ का शेयर जारी किया है भारत सरकार ने पुनः वर्ष 2008–09 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए 80.50 करोड़ रूपये की अंश राशि प्रदान की है। जिसे "आवंटन हेतु लम्बित शेयर पूंजी" के अन्तर्गत दिखाया गया है।

11. वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को चालू घोषित किया गया

(क) बागजाता भूमिगत खान डिकलाइन द्वारा 01.12.2008 से

(ख) बांडुहुरांग ओपेन कास्ट खान 01.01.2009

(ग) तुरामडीह प्रोसेसिंग प्लांट 01.03.2009 से

12. (क) कम्पनी ने कैंश जेनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के लिए प्राप्तियोग्य मूल्य का अनुमान लगाया है जो प्रयोग विधि के मूल्य पर आधारित है। प्रत्येक प्रयोग किये सीजीयू के मूल्य को निकाला गया है जो सम्पत्ति के लिखित मूल्य से बहुत ऊँचा है। अतः इमपायरमेंट क्षति के अनुरुप कोई प्रावधान नहीं करना है। (संदर्भ संख्या 20 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ)

(ख) सीजीयू में जादुगोड़ा खान, नरवापहाड़ खान, भाटिन खान, तुरामडीह खान, बागजाता खान तथा बांदुहुरांग खान शामिल है।

13. वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 के लिये बिक्रीकर निर्धारण के दौरान, बिक्रीकर प्राधिकरण, झारखण्ड सरकार ने बिहार वित्त नियम, 1981 की धारा 13(1)(b) के अन्तर्गत किये गये क्रय को अस्वीकृत कर इसके लिये रू. 2,86,03,236 / – अतिरिक्त कर की मांग की थी। इस मांग को बिक्रीकर अपेलेट प्राधिकरण में चुनौती दी गयी थी। इस मामले के लम्बित होने के कारण लेखे में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न आकस्मीक देयता में दर्शाया गया है।

14. (क) 31.3.2009 को कम्पनी के स्वामित्व में रखी हुई बन्द तुरामडीह परियोजना के स्टोर्स का मूल्य 174.40 लाख रुपये (विगत वर्ष 177.10 लाख रुपये) को लेखा में नहीं लिया गया है कारण यह भारत सरकार की राशि है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इस भण्डार की बिक्री की राशि को सरकारी खाते में जमा की जाएगी।

(ख) कम्पनी ने पूर्व के वर्षों में 177.10 (विगत वर्ष 179.17 लाख) लाख रुपये के प्रारम्भिक स्टॉक से 2.70 (विगत वर्ष 2.07 लाख) लाख रुपये की सम्पत्ति उपयोग में लाई है जिसके लिए उस सीमा तक के लेखा में दायित्व का प्रावधान भारत सरकार के खाते में किया गया है।

15. निर्माण अवधि में आकस्मिक खर्चे :–

	2008–09 (लाख रुपये में)	2007–08 (लाख रुपये में)
(क) तुरामडीह मिल परियोजना	**1235.46**	1494.70
(ख) बांदुहुरांग खान परियोजना	**(9.69)**	727.24
(ग) बागजाता खान परियोजना	**828.92**	624.60
(घ) माहुलडीह खान परियोजना	**147.78**	56.49
(ड़) तुमलापल्ली परियोजना	**380.63**	269.39

16. **आस्थगित कर दायित्व में निम्नलिखित शामिल है :**

	31.03.2009 को (लाख रुपये में)	31.03.2008 को (लाख रुपये में)
मूल्यह्रास भिन्नता		
घटाया : आस्थगित कर सम्पत्ति	**7458.88**	3874.16
(क) अप्रचलित भण्डार के लिए प्रावधान	**52.22**	49.84
(ख) वेतन की छुट्टी के लिए प्रावधान	**475.68**	403.12
(ग) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति	**72.35**	69.78
(घ) लाभ–हानि खाता में प्रभारित पूर्वदत्त व्यय	**2.02**	2.01
कुल (क से घ)	**602.27**	524.74
शुद्ध अस्थगित कर दायित्व	**6856.61**	3349.42
प्रारम्भिक दायित्व	**3349.42**	3501.72
अंतिम दायित्व	**6856.61**	3349.42

17. कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग–2 अनुसूची VI के अनुच्छेद 3, 4 तथा 4 (डी) के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएँ–

		2008–2008	2007–2008
(क)	**निदेशकों का पारिश्रमिक**	**रुपये**	रुपये
	(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)		
	1. वेतन	**22,38,150**	18,94,465
	2. भविष्य निधि, उपदान तथा कर्मचारी कल्याण निधि में नियोक्ता का अंशदान	**2,50,856**	3,44,195
	3. छुट्टी का नकद भुगतान एवं अन्य	**6,12,466**	1,82,860
	योग (क)	**31,01,472**	24,21,520
(ख)	सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
	i) संघटक एवं कलपूर्जे	**4,37,70,060**	2,54,15,090
	ii) पूँजीगत माल	**27,38,23,876**	3,51,13,375
	योग (ख)	**31,75,93,936**	6,05,28,465
(ग)	विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
	i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	**75,792**	76,930
	ii) विदेश यात्रा	**12,48,579**	3,46,252
	योग (ग)	**1,32,24,371**	4,23,182

(घ) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूर्जे एवं उपभुक्त संघटकों का कुल मूल्य :–

		2008–2009	प्रतिशत	2007–2008	प्रतिशत
		रुपये		रुपये	
1.	आयातीत	3,74,96,475	03.36	2,19,20,766	02.57
2.	स्वदेशी	1,08,01,07,838	96.64	82,94,00,122	97.43
	योग	1,11,76,04,313	100.00	85,13,20,888	100.00

18. **प्रति शेयर लाभ**

	2008–2009	2007–08
कर पश्चात् लाभ	**18,00,97,969**	14,62,77,637
इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	**90,03,978**	72,32,216
जोड़ा : इकाई शेयर का संभाव्य संख्या	–	–
इकाई शेयर का तनुकृत संख्या	**91,13,978**	72,32,216
इकाई शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	**1000**	1000
प्रति शेयर प्रारम्भिक आय (रुपया में)	**20.00**	20.23
प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपया में)	**19.76**	20.23

19. माइक्रो, स्माल एवं मिडियम डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 31.3.2009 के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायियों के पास प्रत्येक मामले में कुछ रुपये ब्याज सहित 30 दिनों से अधिक बकाया रहा :–

क्र. सं.	प्रतिष्ठान का नाम	31.03.2009 के अनुसार बकाया राशि	31.03.2008 के अनुसार बकाया राशि
		रूपये	रूपये
01.	मेसर्स बामारा सॉ मिल्स, जमशेदपुर	–	3,331.12
02.	मेसर्स बिहार इलेक्ट्रीक एण्ड रेफ्रि, क.लि. जमशेदपुर	**12,006.08**	10,150.47
03.	मेसर्स प्रीमियर रबर मिल्स, गुड़गॉव, हरियाणा	**21,912.32**	5,929.50
04.	मेसर्स पटेल इंजी. कम्पनी कोलकाता	–	31,923.72
05.	मेसर्स फ्रेण्ड इंजी. वर्क्स, जमशेदपुर	**2,97,499.68**	460.33
06.	मेसर्स हिन्दुस्तान रबर प्रोडक्ट, जमशेदपुर	**29,320.24**	25,439.62
07.	मेसर्स ओटोमेट इंजी., जमशेदपुर	**24,531.44**	21,284.63
08.	मेसर्स सैनी इण्डस्ट्रीज, जमशेदपुर	**34,738.16**	5,830.38
09.	मेसर्स हाईड्रोक्रीम्प ए.सी.प्र.लि., जमशेदपुर	**1,80,309.57**	63,702.30
10.	मेसर्स मोडोप्लास्ट कम्पनी, कोलकाता	**3,840.15**	3,331.90
11.	मेसर्स राजस्थान हेवी इंजी. वर्क्स, उदयपुर	**2,16,910.51**	52,382.71
12.	मेसर्स पेसिसन इंजी. कनसर्न, कोलकाता	**1,399.32**	4,586.66
13.	मेसर्स बरानगर मेटल कास्टींग, कोलकाता	**9,944.32**	8628.16
14.	मेसर्स एस.एम. इण्डस्ट्रीज, जमशेदपुर	**2,43,149.20**	1,12,651.33
15.	मेसर्स कुमार उद्योग, जमशेदपुर	**46,559.43**	60,153.29
16.	मेसर्स इस्टर्न इण्ड. इक्विपमेंट, जमशेदपुर	**2,16,102.99**	58,670.13
17.	मेसर्स मित्रा मैन्यु. कम्पनी, हावड़ा	**91,151.01**	18,226.34
18.	मेसर्स मेक्सवेल फैब्रिकों, कोलकाता	–	2,04,287.97
19.	मेसर्स श्रीमती इन्टरप्राईज, जमशेदपुर	**1,17,125.99**	1,14,904.60
20.	मेसर्स भारत इन्टरप्राईज	**69,578.02**	3,921.73
21.	मेसर्स दीपक इंजीरियरिंग वर्क्स	**16,207.76**	16,84,613.17
22.	मेसर्स इन्दर इन्टरप्राईज	**56,990.52**	43,832.58
23.	मेसर्स ब्लू स्टर मेलेबुल्स	–	310.34
24.	मेसर्स यूनिक इंजीनियरर्स	**17,706.92**	–
25.	मेसर्स एल्सेटोमोर लाईनिंग वर्क्स	–	5,25,264.11
26.	मेसर्स ए.बी. एलास्टो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	**18,097.52**	15,702.26
27.	मेसर्स श्री लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, झारग्राम	**1,008.00**	3,304.00
28.	मेसर्स एकमें इण्डसट्रीज	**97,104.00**	–
29.	मेसर्स इण्डो कम्प्रेस टूल्स प्रा. लि.	**5,088.63**	–
30.	मेसर्स मनोज इन्टरपाईज	**4,160.42**	–
	योग	**18,32,442.20**	30,82,823.34

20. सम्बंधित पक्षो का विवरण

विवरण	मुख्य प्रबंधक कार्मिक	कुल पारिश्रमिक (रु.)	
		2008–09	2007–08
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री आर. गुप्ता (सी.एम.डी)	**12,08,461**	8,98,621
	2. श्री के. आर. शिवरमण डी.(एफ.) 30.09.2007 तक	**9,76,145**	4,79,670
	3. श्री डी. आचार्या डी.(टी.)	**8,98,621**	7,16,006
	4. श्री आर.पी गुप्ता डी.(एफ.) 26.10.2007 से	**9,16,866**	3,27,223

21. आंकड़ों में 50 पैसे से अधिक को रुपये में ले लिया गया है। गत वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कही भी जरुरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार हस्ताक्षरित है

अनुसूची '1' से '15' के हस्ताक्षरी

कृते एस. गागुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

कृते बोर्ड की ओर से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : 3935

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून 2009

31.03.2009 को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो विवरण

(लाख रुपयों में)

		2008–09	2007–08
(क)	**परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	कर के पूर्व शुद्ध लाभ	6,004.40	2,141.83
	समायोजन के लिए		
	मूल्यह्रास	2,979.91	2,819.70
	ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	(77.91)	(68.21)
	बैंक जमा पर ब्याज	(1,749.79)	(1751.20)
	स्थिर परिसम्पतियों के बिक्री पर (लाभ)/हानि	(39.30)	–
	कार्यकारी पूँजी को संसोधित करने के पूर्व परिचालन लाभ	7,117.31	3,142.12
	समायोजन के लिए		
	(क) देनदारों को (वृद्धि)/ह्रास	**(2,425.10)**	318.02
	(ख) मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	**(2,959.34)**	(1,209.73)
	(ग) ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास	**(1,412.84)**	74.95
	(घ) उपार्जित ब्याज में (वृद्धि) ह्रास	**(54.91)**	27.78
	(ड़) चालू दायित्व में (वृद्धि)/ह्रास	**17,896.72**	2,227.67
	परिचालन की क्रियाओं में नकद उपार्जन	**18,161.84**	4,580.81
	प्रत्यक्ष कर	**(700.16)**	(1,328.87)
	परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	**17,461.68**	3,251.94
(ख)	**निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	(क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	**(49,925.07)**	(5,311.70)
	(ख) डब्ल्यु आई पी के पूँजी में वृद्धि/ह्रास	**17,372.49**	(15,565.52)
	(ग) बैंक जमा पर ब्याज	**1,749.79**	1,751.20
	(घ) ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज	**77.91**	68.21
	(ड़) निश्चित परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	**0.00**	0.00
	(च) स्थिर परिसम्पतियों के बिक्री से प्राप्तियाँ	**39.30**	0.00
	विनियोग का क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लों	**(30,685.58)**	(19,057.81)
(ग)	**वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	इकाई शेयर पूँजी से लाया गया	**23,600.00**	12,900.00
	लाभांश चुकाया	**(370.00)**	(700.00)
	वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	**23,230.00**	12,200.00
(घ)	**नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)**	**10,006.10**	(3,605.87)
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी के सामान	**16,450.70**	20,056.57
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी के सामान	**26,456.80**	16,450.70
(ङ)	**नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि**	**10,006.10**	(3,605.87)

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

कृते एवं बोर्ड की तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदारी
सदस्यता संख्या : 003935

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून 2009

कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IV अनुसूची VI के अनुसार सूचनाएँ। तुलन पत्र सारांश एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रुपरेखा:

(i) **पंजीकरण विवरण:**

पंजीकरण संख्या : 000806 स्टेट कोड: 03

तुलन पत्र की तिथि : 31 मार्च, 2009

(ii) वर्ष के दौरान पूँजी में वृद्धि (राशि, हजार रुपयों में)

सार्वजनिक निर्गम	**राइट इश्यू**	**सरकारी निर्गम**
शून्य	शून्य	20,45,000
बोनस निर्गम	**निजी स्थापना**	
शून्य	शून्य	

(iii) निधि के संचारण एवं विस्तार की स्थिति (राशि हजार रुपये में)

कुल देयताएँ	कुल परिसम्पत्तियाँ
1,63,60,772	1,63,60,772
निधि के स्रोत	
प्रदत्त पूँजी	आरक्षित एवं अधिशेष
1,07,76,478	13,68,425
प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत
शून्य	शून्य
आस्थगित कर दायित्व	
6,85,661	
निधि का विनियोग	
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ (सी.डब्ल्यू.आई.पी.सहित)	निवेश
1,19,87,495	शून्य
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ	विविध व्यय
8,43,069	शून्य
संचित हानियाँ	
शून्य	

(iv) कम्पनी का प्रदर्शन (राशि हजार रुपये में)

कुल व्यवसाय (राजस्व)	कुल व्यय
41,46,248	35,45,807
कर पूर्व लाभ/हानि	कर पश्चात् लाभ/हानि
(+) 6,00,441	(+) 1,80,098
प्रतिशेयर अर्जन रुपयों में	लाभांश दर :
20.00	0.47

(v) मुख्य उत्पाद का सामान्य नाम/कम्पनी की सेवाएँ (वित्तीय शर्तों के अनुसार) वर्गीकृत विवरण

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

कृते एवं बोर्ड की तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदारी
सदस्यता संख्या : 003935

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून 2009

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार–संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन / मजदुरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास (नगद क्षेत्र पर ह्रास को छोड़कर)	व्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ / हानि
1984–85	1487.2	272.4	449.1	83.6	9.3	573.9	108.6
1985–86	1695.6	354.4	488.5	83.9	–	635.2	123.5
1986–87	2047.2	412.3	572.4	126.4	6.3	645.4	214.4
1987–88	2813.8	347.7	664.3	171.6	12.8	839.9	751.5
1988–89	3358.2	449.9	750.2	174.6	4.2	1104.8	892.3
1989–90	3882.2	465.9	1026.4	157.7	0.4	1142.5	1092.4
1990–91	3080.6	398.0	938.5	197.9	–	1237.2	323.5
1991–92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	–	1455.0	571.8
1992–93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993–94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0
1994–95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1
1995–96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996–97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997–98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	–	5019.9	516.7
1998–99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	–	6495.0	177.5
1999–00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	–	5361.4	1307.9
2000–01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	–	6167.4	405.2
2001–02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	–	6399.3	872.0
2002–03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	–	7500.0	2772.4
2003–04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	–	9389.7	1925.7
2004–05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	–	9896.72	4621.6
2005–06	28156	3121	7309	2468	–	10332	4926
2006–07	29781	4138	8817	2592	–	9856	4378
2007–08	30436	4786	9929	2518	–	11061	2142
2008–09	41462	6143	12728	2755	–	13832	6004

(रूपये लाख में)

कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अधिशेष	सकल निरूद्ध पूँजी छोड़कर)	कुल मूल्य ह्रास	शुद्ध निरूद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
40.7	1695.7	79.0	321.2	1864.2	1173.9	691.2	2799
72.5	1714.3	79.0	403.9	2250.9	1283.4	967.5	2905
159.4	2239.3	193.0	633.2	2726.3	1444.8	1281.5	3115
471.5	2439.2	94.0	1104.2	3030.3	1661.3	1369.9	3180
552.3	2575.3	–	1557.2	3300.3	1841.8	1458.5	3392
657.4	5589.3	–	2314.8	3701.3	2035.2	1666.1	3477
143.5	6989.3	–	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
245.8	12417.2	–	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	–	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	–	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	–	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	–	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854.0	36922.3	–	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	–	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	–	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	–	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	–	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	–	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	–	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	–	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	–	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	–	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	–	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	–	13684	117101	33914	83187	4643

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

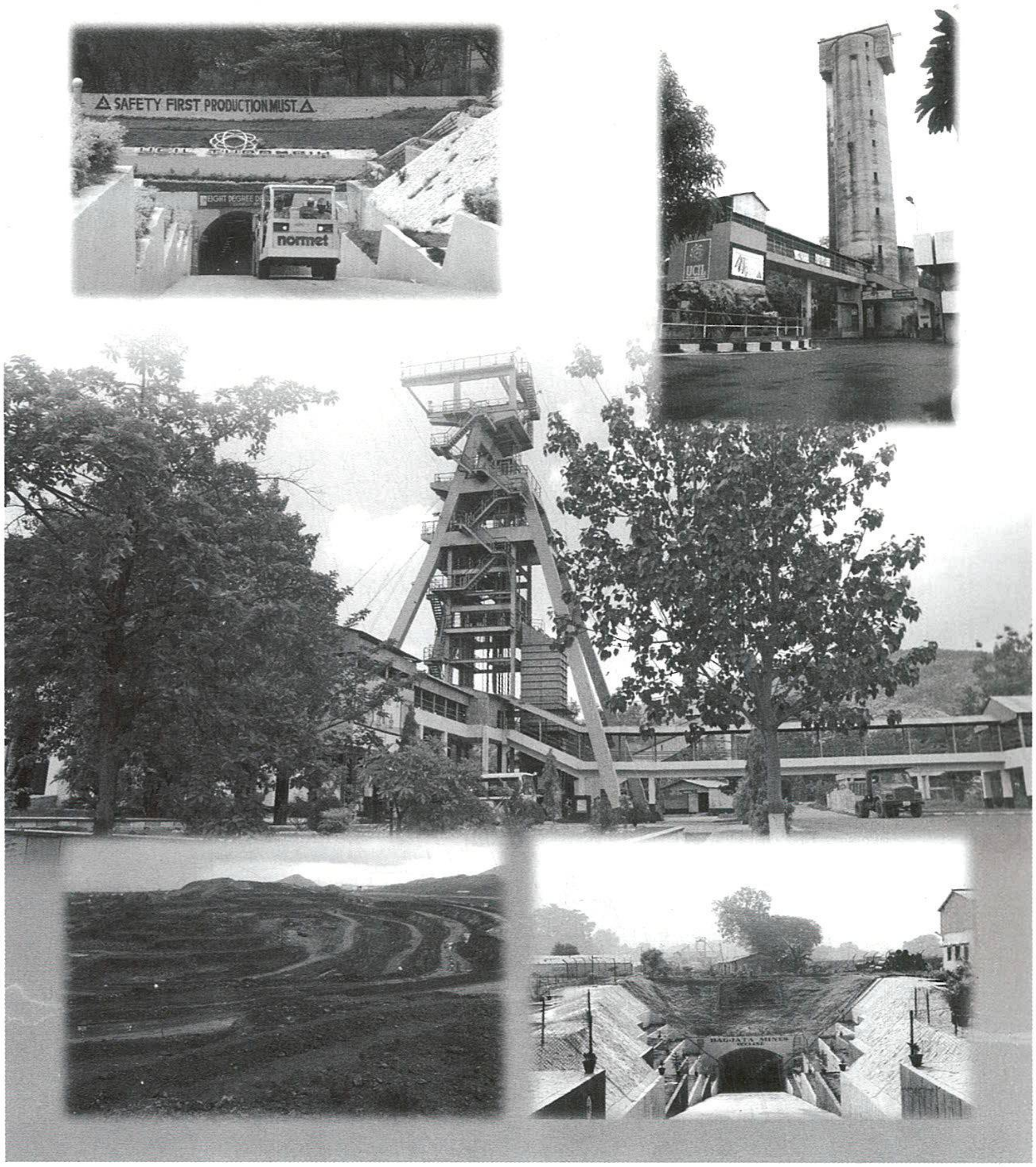

The key to national prosperity, apart from the spirit of the people, lies in a modern age, in the effective combination of three factors, technology, raw material and capital, of which the first is perhaps the most important, since the creation and adoption of new scientific techniques can, in fact, make-up for a deficiency in natural resources, and reduce the demands on capital.

- Homi Bhabha